



**प्रेस नोट**

**जनपद अम्बेडकरनगर**

**थाना राजेसुल्तानपुर**

**दिनांक-13.09.2025**

**जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस अधीक्षक श्री केशव कुमार के निर्देशन पर थाना राजेसुल्तानपुर/ थाना जहांगीरगंज/ सर्विलांस/स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा विदेश भेजने के नाम पर लोगों से छल व धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.09.2025 को वादीगण विजय कुमार निषाद पुत्र धनुषधारी निषाद नि0ग्राम सकरा दक्षिण थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर व रामवृक्ष पुत्र स्व0 रामलौट ग्राम नया गाँव थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर व नरसिंह पुत्र नेबूलाल निवासी ग्राम हरैया थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर व बाबूराम पुत्र श्रीराम ग्राम हुसैनपुर मुस्लमान थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर व नाजिम अली पुत्र मु0 इस्माईल ग्राम मदनगढ थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर के तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण द्वारा छल व धोखाधड़ी करते हुए प्रार्थीगण को विदेश भेजने के नाम पर ऑनलाइन व नगद रुपये ले लेने व कूटरचना कर कूटरचित फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट का टिकट आदि दे देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसपर मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS व मु0अ0सं0-185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS पंजीकृत किया गया था जो अभियुक्तगण 1.अजय साहनी पुत्र अज्ञात निवासी गोरखपुर 2.सीमा तिवारी खरे पुत्री युवराज वाला साहब खरे निवासी एम-024 सिद्धेश्वर मित्र मण्डल रामनगर घाट कोपर वेस्ट मुम्बई महाराष्ट्र 400086 3.जितेन्द्र यादव पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 4.साहिल हरेश्वर महता पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 5.धनंजय कुमार पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 6.शशिकान्त सेठ पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 7. बन्टी पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 8. शिवांगी पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 9. प्रीति पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 10. कुछ अन्य सहयोगी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध हुआ था।

**कार्यवाही का विवरण** – उपरोक्त फ़ाड के सम्बन्ध में घटनास्थल पर जाकर जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि पदुमपुर चौराहे पर स्थित हरि प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री भागवत प्रसाद नि0ग्राम प्रतापपुर रुपईपट्टी थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर के मकान पर जिसको उन्होंने विनोद जायसवाल पुत्र कुन्ज विहारी नि0ग्राम नसीरपुर थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर को 12500 रुपये महिने के किराये पर दिया गया था। विनोद जायसवाल ने उसी किराये के कमरों में से एक कमरा अजय साहनी निवासी गोरखपुर को 6500 रुपये मासिक किराये पर दिया था जिसमें अजय साहनी व उसके सहयोगीयों द्वारा अरेबियन इंटरप्राइजेज के नाम से ब्रांच खोली गयी थी जो लोगों को विदेश भेजने हेतु फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट टिकट उपलब्ध कराती थी उक्त प्रकरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अभियुक्तों के बैंक खाता विवरण (जिसमें अभियुक्तों में पेमेंट मंगवाया था) का सत्यापन, संदिग्ध सिम कार्ड के नाम व पता की जानकारी की गयी तो सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था व इस सम्बन्ध में सत्यंजय गौड़ से पूछने पर उसने बताया कि शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह व विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह नि0गण 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ के कहने पर मैंने धनंजय कुमार पुत्र कृष्णाप्रसाद नि0ग्राम रिठैया धरवार थाना करछना जनपद प्रयागराज के नाम से खाता खुलवाकर पासबुक व एटीएम शुभम प्रसाद शाह एवं विष्णु प्रसाद शाह को दिया गया था जिस पर शुभम प्रसाद साह व विष्णु प्रसाद साह धारा 179 BNSS की नोटिस के अन्तर्गत अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन प्राप्त होने के उपरान्त जिनसे मुकदमा उपरोक्त में संलिप्तता पाये जाने पर धारा 61(2) BNS की बढोत्तरी कर अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण-1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज 2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B

कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ 3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ का नाम प्रकाश मे लाकर इनकी गिरफ्तारी समय करीब 12.50 बजे की गयी व अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के पास से एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक का व अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से वन प्लस मोबाइल व अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से पोको मोबाइल नीला रंग व इनके द्वारा बताये गये अलग-अलग स्थानों से पास पोर्ट बरामद हुए।

**विवरण पूछताछ-** पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा थाना राजेसुल्तानपुर मे पंजीकृत मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS व मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS का अपराध किया गया था जिससे पूछताछ मे यह जानकारी आयी कि प्रान्त के भिन्न - भिन्न स्थानों पर जाकर सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से लोगों को आकर्षित कर बैंक का खाता खुलवाकर पास बुक , एटीएम पिन व मोबाइल सीम अन्य का प्राप्त कर उनके आईडी प्रयोग कर स्वयं संचालन कर धन अर्जित करते हैं।

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता अभियुक्त-**

1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज
2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़
3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़

### **विवरण बरामदगी-**

- 01-अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक व पासपोर्ट
- 02- अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त पोको मोबाइल नीला रंग व पासपोर्ट
- 03- अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त वन प्लस मोबाइल व पासपोर्ट

### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर
2. मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर

**गिरफ्तारी स्थान-** थाना राजेसुल्तानपुर परिसर

**गिरफ्तारी समय-** 12.50 बजे

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-**

1. थानाध्यक्ष अक्षय कुमार पटेल थाना राजेसुल्तानपुर
2. उ0नि0 दिनेश कुमार थाना राजेसुल्तानपुर
3. उ0नि0 शिवम सिंह थाना राजेसुल्तानपुर
4. हे0का0 संतोष यादव थाना राजेसुल्तानपुर
5. निरीक्षक अजय प्रताप यादव (प्रभारी निरीक्षक थाना जहॉंगीरगंज)
6. उ0नि0 प्रभाकान्त तिवारी (प्रभारी सर्विलांस सेल मय सर्विलांस व स्वाट टीम)
7. हे0का0 उमेश कुमार यादव
8. हे0का0 अमरेश यादव
9. हे0का0 विकास ओझा
10. हे0का0 पुनीत गुप्ता
11. हे0का0 सुनील कुमार
12. का0 शिवम शर्मा
13. का0 विपिन सिंह राठौर
14. का0 सौरभ पाण्डेय
15. का0 दिव्यांश यादव



**प्रेस नोट**

**जनपद अम्बेडकरनगर**

**थाना राजेसुल्तानपुर**

**दिनांक-13.09.2025**

**जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस अधीक्षक श्री केशव कुमार के निर्देशन पर थाना राजेसुल्तानपुर/ थाना जहांगीरगंज/ सर्विलांस/स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा विदेश भेजने के नाम पर लोगों से छल व धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.09.2025 को वादीगण विजय कुमार निषाद पुत्र धनुषधारी निषाद नि0ग्राम सकरा दक्षिण थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर व रामवृक्ष पुत्र स्व0 रामलौट ग्राम नया गाँव थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर व नरसिंह पुत्र नेबूलाल निवासी ग्राम हरैया थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर व बाबूराम पुत्र श्रीराम ग्राम हुसैनपुर मुस्लमान थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर व नाजिम अली पुत्र मु0 इस्माईल ग्राम मदनगढ थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर के तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण द्वारा छल व धोखाधड़ी करते हुए प्रार्थीगण को विदेश भेजने के नाम पर ऑनलाइन व नगद रुपये ले लेने व कूटरचना कर कूटरचित फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट का टिकट आदि दे देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसपर मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS व मु0अ0सं0-185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS पंजीकृत किया गया था जो अभियुक्तगण 1.अजय साहनी पुत्र अज्ञात निवासी गोरखपुर 2.सीमा तिवारी खरे पुत्री युवराज वाला साहब खरे निवासी एम-024 सिद्धेश्वर मित्र मण्डल रामनगर घाट कोपर वेस्ट मुम्बई महाराष्ट्र 400086 3.जितेन्द्र यादव पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 4.साहिल हरेश्वर महता पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 5.धनंजय कुमार पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 6.शशिकान्त सेठ पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 7. बन्टी पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 8. शिवांगी पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 9. प्रीति पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 10. कुछ अन्य सहयोगी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध हुआ था।

**कार्यवाही का विवरण** – उपरोक्त फ़ाड के सम्बन्ध में घटनास्थल पर जाकर जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि पदमपुर चौराहे पर स्थित हरि प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री भागवत प्रसाद नि0ग्राम प्रतापपुर रुपईपट्टी थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर के मकान पर जिसको उन्होंने विनोद जायसवाल पुत्र कुन्ज विहारी नि0ग्राम नसीरपुर थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर को 12500 रुपये महिने के किराये पर दिया गया था। विनोद जायसवाल ने उसी किराये के कमरों में से एक कमरा अजय साहनी निवासी गोरखपुर को 6500 रुपये मासिक किराये पर दिया था जिसमें अजय साहनी व उसके सहयोगीयों द्वारा अरेबियन इंटरप्राइजेज के नाम से ब्रांच खोली गयी थी जो लोगों को विदेश भेजने हेतु फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट टिकट उपलब्ध कराती थी उक्त प्रकरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अभियुक्तों के बैंक खाता विवरण (जिसमें अभियुक्तों में पेमेंट मंगवाया था) का सत्यापन, संदिग्ध सिम कार्ड के नाम व पता की जानकारी की गयी तो सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था व इस सम्बन्ध में सत्यंजय गौड़ से पूछने पर उसने बताया कि शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह व विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह नि0गण 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ के कहने पर मैंने धनंजय कुमार पुत्र कृष्णाप्रसाद नि0ग्राम रिठैया धरवार थाना करछना जनपद प्रयागराज के नाम से खाता खुलवाकर पासबुक व एटीएम शुभम प्रसाद शाह एवं विष्णु प्रसाद शाह को दिया गया था जिस पर शुभम प्रसाद साह व विष्णु प्रसाद साह धारा 179 BNSS की नोटिस के अन्तर्गत अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन प्राप्त होने के उपरान्त जिनसे मुकदमा उपरोक्त में संलिप्तता पाये जाने पर धारा 61(2) BNS की बढोतरी कर अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण-1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज 2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B

कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ 3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ का नाम प्रकाश मे लाकर इनकी गिरफ्तारी समय करीब 12.50 बजे की गयी व अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के पास से एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक का व अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से वन प्लस मोबाइल व अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से पोको मोबाइल नीला रंग व इनके द्वारा बताये गये अलग-अलग स्थानों से पास पोर्ट बरामद हुए।

**विवरण पूछताछ-** पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा थाना राजेसुल्तानपुर मे पंजीकृत मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS व मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS का अपराध किया गया था जिससे पूछताछ मे यह जानकारी आयी कि प्रान्त के भिन्न - भिन्न स्थानों पर जाकर सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से लोगों को आकर्षित कर बैंक का खाता खुलवाकर पास बुक , एटीएम पिन व मोबाइल सीम अन्य का प्राप्त कर उनके आईडी प्रयोग कर स्वयं संचालन कर धन अर्जित करते हैं।

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता अभियुक्त-**

1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज
2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़
3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़

### **विवरण बरामदगी-**

- 01-अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक व पासपोर्ट
- 02- अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त पोको मोबाइल नीला रंग व पासपोर्ट
- 03- अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त वन प्लस मोबाइल व पासपोर्ट

### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर
2. मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर

**गिरफ्तारी स्थान-** थाना राजेसुल्तानपुर परिसर

**गिरफ्तारी समय-** 12.50 बजे

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-**

1. थानाध्यक्ष अक्षय कुमार पटेल थाना राजेसुल्तानपुर
2. उ0नि0 दिनेश कुमार थाना राजेसुल्तानपुर
3. उ0नि0 शिवम सिंह थाना राजेसुल्तानपुर
4. हे0का0 संतोष यादव थाना राजेसुल्तानपुर
5. निरीक्षक अजय प्रताप यादव (प्रभारी निरीक्षक थाना जहॉंगीरगंज)
6. उ0नि0 प्रभाकान्त तिवारी (प्रभारी सर्विलांस सेल मय सर्विलांस व स्वाट टीम)
7. हे0का0 उमेश कुमार यादव
8. हे0का0 अमरेश यादव
9. हे0का0 विकास ओझा
10. हे0का0 पुनीत गुप्ता
11. हे0का0 सुनील कुमार
12. का0 शिवम शर्मा
13. का0 विपिन सिंह राठौर
14. का0 सौरभ पाण्डेय
15. का0 दिव्यांश यादव



**प्रेस नोट**

**जनपद अम्बेडकरनगर**

**थाना राजेसुल्तानपुर**

**दिनांक-13.09.2025**

**जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस अधीक्षक श्री केशव कुमार के निर्देशन पर थाना राजेसुल्तानपुर/ थाना जहांगीरगंज/ सर्विलांस/स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा विदेश भेजने के नाम पर लोगों से छल व धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.09.2025 को वादीगण विजय कुमार निषाद पुत्र धनुषधारी निषाद नि0ग्राम सकरा दक्षिण थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर व रामवृक्ष पुत्र स्व0 रामलौट ग्राम नया गाँव थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर व नरसिंह पुत्र नेबूलाल निवासी ग्राम हरैया थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर व बाबूराम पुत्र श्रीराम ग्राम हुसैनपुर मुस्लमान थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर व नाजिम अली पुत्र मु0 इस्माईल ग्राम मदनगढ थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर के तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण द्वारा छल व धोखाधड़ी करते हुए प्रार्थीगण को विदेश भेजने के नाम पर ऑनलाइन व नगद रुपये ले लेने व कूटरचना कर कूटरचित फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट का टिकट आदि दे देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसपर मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS व मु0अ0सं0-185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS पंजीकृत किया गया था जो अभियुक्तगण 1.अजय साहनी पुत्र अज्ञात निवासी गोरखपुर 2.सीमा तिवारी खरे पुत्री युवराज वाला साहब खरे निवासी एम-024 सिद्धेश्वर मित्र मण्डल रामनगर घाट कोपर वेस्ट मुम्बई महाराष्ट्र 400086 3.जितेन्द्र यादव पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 4.साहिल हरेश्वर महता पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 5.धनंजय कुमार पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 6.शशिकान्त सेठ पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 7. बन्टी पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 8. शिवांगी पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 9. प्रीति पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 10. कुछ अन्य सहयोगी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध हुआ था।

**कार्यवाही का विवरण** – उपरोक्त फ़ाड के सम्बन्ध में घटनास्थल पर जाकर जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि पदमपुर चौराहे पर स्थित हरि प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री भागवत प्रसाद नि0ग्राम प्रतापपुर रुपईपट्टी थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर के मकान पर जिसको उन्होंने विनोद जायसवाल पुत्र कुन्ज विहारी नि0ग्राम नसीरपुर थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर को 12500 रुपये महिने के किराये पर दिया गया था। विनोद जायसवाल ने उसी किराये के कमरों में से एक कमरा अजय साहनी निवासी गोरखपुर को 6500 रुपये मासिक किराये पर दिया था जिसमें अजय साहनी व उसके सहयोगीयों द्वारा अरेबियन इंटरप्राइजेज के नाम से ब्रांच खोली गयी थी जो लोगों को विदेश भेजने हेतु फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट टिकट उपलब्ध कराती थी उक्त प्रकरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अभियुक्तों के बैंक खाता विवरण (जिसमें अभियुक्तों में पेमेंट मंगवाया था) का सत्यापन, संदिग्ध सिम कार्ड के नाम व पता की जानकारी की गयी तो सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था व इस सम्बन्ध में सत्यंजय गौड़ से पूछने पर उसने बताया कि शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह व विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह नि0गण 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ के कहने पर मैंने धनंजय कुमार पुत्र कृष्णाप्रसाद नि0ग्राम रिठैया धरवार थाना करछना जनपद प्रयागराज के नाम से खाता खुलवाकर पासबुक व एटीएम शुभम प्रसाद शाह एवं विष्णु प्रसाद शाह को दिया गया था जिस पर शुभम प्रसाद साह व विष्णु प्रसाद साह धारा 179 BNSS की नोटिस के अन्तर्गत अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन प्राप्त होने के उपरान्त जिनसे मुकदमा उपरोक्त में संलिप्तता पाये जाने पर धारा 61(2) BNS की बढोतरी कर अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण-1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज 2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B

कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ 3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ का नाम प्रकाश मे लाकर इनकी गिरफ्तारी समय करीब 12.50 बजे की गयी व अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के पास से एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक का व अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से वन प्लस मोबाइल व अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से पोको मोबाइल नीला रंग व इनके द्वारा बताये गये अलग-अलग स्थानों से पास पोर्ट बरामद हुए।

**विवरण पूछताछ-** पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा थाना राजेसुल्तानपुर मे पंजीकृत मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS व मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS का अपराध किया गया था जिससे पूछताछ मे यह जानकारी आयी कि प्रान्त के भिन्न - भिन्न स्थानों पर जाकर सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से लोगों को आकर्षित कर बैंक का खाता खुलवाकर पास बुक , एटीएम पिन व मोबाइल सीम अन्य का प्राप्त कर उनके आईडी प्रयोग कर स्वयं संचालन कर धन अर्जित करते हैं।

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता अभियुक्त-**

1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज
2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़
3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़

### **विवरण बरामदगी-**

- 01-अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक व पासपोर्ट
- 02- अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त पोको मोबाइल नीला रंग व पासपोर्ट
- 03- अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त वन प्लस मोबाइल व पासपोर्ट

### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर
2. मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर

**गिरफ्तारी स्थान-** थाना राजेसुल्तानपुर परिसर

**गिरफ्तारी समय-** 12.50 बजे

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-**

1. थानाध्यक्ष अक्षय कुमार पटेल थाना राजेसुल्तानपुर
2. उ0नि0 दिनेश कुमार थाना राजेसुल्तानपुर
3. उ0नि0 शिवम सिंह थाना राजेसुल्तानपुर
4. हे0का0 संतोष यादव थाना राजेसुल्तानपुर
5. निरीक्षक अजय प्रताप यादव (प्रभारी निरीक्षक थाना जहॉंगीरगंज)
6. उ0नि0 प्रभाकान्त तिवारी (प्रभारी सर्विलांस सेल मय सर्विलांस व स्वाट टीम)
7. हे0का0 उमेश कुमार यादव
8. हे0का0 अमरेश यादव
9. हे0का0 विकास ओझा
10. हे0का0 पुनीत गुप्ता
11. हे0का0 सुनील कुमार
12. का0 शिवम शर्मा
13. का0 विपिन सिंह राठौर
14. का0 सौरभ पाण्डेय
15. का0 दिव्यांश यादव



**प्रेस नोट**

**जनपद अम्बेडकरनगर**

**थाना राजेसुल्तानपुर**

**दिनांक-13.09.2025**

**जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस अधीक्षक श्री केशव कुमार के निर्देशन पर थाना राजेसुल्तानपुर/ थाना जहांगीरगंज/ सर्विलांस/स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा विदेश भेजने के नाम पर लोगों से छल व धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.09.2025 को वादीगण विजय कुमार निषाद पुत्र धनुषधारी निषाद नि0ग्राम सकरा दक्षिण थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर व रामवृक्ष पुत्र स्व0 रामलौट ग्राम नया गाँव थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर व नरसिंह पुत्र नेबूलाल निवासी ग्राम हरैया थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर व बाबूराम पुत्र श्रीराम ग्राम हुसैनपुर मुस्लमान थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर व नाजिम अली पुत्र मु0 इस्माईल ग्राम मदनगढ थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर के तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण द्वारा छल व धोखाधड़ी करते हुए प्रार्थीगण को विदेश भेजने के नाम पर ऑनलाइन व नगद रुपये ले लेने व कूटरचना कर कूटरचित फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट का टिकट आदि दे देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसपर मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS व मु0अ0सं0-185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS पंजीकृत किया गया था जो अभियुक्तगण 1.अजय साहनी पुत्र अज्ञात निवासी गोरखपुर 2.सीमा तिवारी खरे पुत्री युवराज वाला साहब खरे निवासी एम-024 सिद्धेश्वर मित्र मण्डल रामनगर घाट कोपर वेस्ट मुम्बई महाराष्ट्र 400086 3.जितेन्द्र यादव पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 4.साहिल हरेश्वर महता पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 5.धनंजय कुमार पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 6.शशिकान्त सेठ पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 7. बन्टी पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 8. शिवांगी पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 9. प्रीति पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 10. कुछ अन्य सहयोगी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध हुआ था।

**कार्यवाही का विवरण** – उपरोक्त फ़ाड के सम्बन्ध में घटनास्थल पर जाकर जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि पदमपुर चौराहे पर स्थित हरि प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री भागवत प्रसाद नि0ग्राम प्रतापपुर रुपईपट्टी थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर के मकान पर जिसको उन्होंने विनोद जायसवाल पुत्र कुन्ज विहारी नि0ग्राम नसीरपुर थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर को 12500 रुपये महिने के किराये पर दिया गया था। विनोद जायसवाल ने उसी किराये के कमरों में से एक कमरा अजय साहनी निवासी गोरखपुर को 6500 रुपये मासिक किराये पर दिया था जिसमें अजय साहनी व उसके सहयोगीयों द्वारा अरेबियन इंटरप्राइजेज के नाम से ब्रांच खोली गयी थी जो लोगों को विदेश भेजने हेतु फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट टिकट उपलब्ध कराती थी उक्त प्रकरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अभियुक्तों के बैंक खाता विवरण (जिसमें अभियुक्तों में पेमेंट मंगवाया था) का सत्यापन, संदिग्ध सिम कार्ड के नाम व पता की जानकारी की गयी तो सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था व इस सम्बन्ध में सत्यंजय गौड़ से पूछने पर उसने बताया कि शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह व विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह नि0गण 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ के कहने पर मैंने धनंजय कुमार पुत्र कृष्णाप्रसाद नि0ग्राम रिठैया धरवार थाना करछना जनपद प्रयागराज के नाम से खाता खुलवाकर पासबुक व एटीएम शुभम प्रसाद शाह एवं विष्णु प्रसाद शाह को दिया गया था जिस पर शुभम प्रसाद साह व विष्णु प्रसाद साह धारा 179 BNSS की नोटिस के अन्तर्गत अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन प्राप्त होने के उपरान्त जिनसे मुकदमा उपरोक्त में संलिप्तता पाये जाने पर धारा 61(2) BNS की बढोतरी कर अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण-1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज 2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B

कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ 3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ का नाम प्रकाश मे लाकर इनकी गिरफ्तारी समय करीब 12.50 बजे की गयी व अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के पास से एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक का व अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से वन प्लस मोबाइल व अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से पोको मोबाइल नीला रंग व इनके द्वारा बताये गये अलग-अलग स्थानों से पास पोर्ट बरामद हुए।

**विवरण पूछताछ-** पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा थाना राजेसुल्तानपुर मे पंजीकृत मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS व मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS का अपराध किया गया था जिससे पूछताछ मे यह जानकारी आयी कि प्रान्त के भिन्न - भिन्न स्थानों पर जाकर सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से लोगों को आकर्षित कर बैंक का खाता खुलवाकर पास बुक , एटीएम पिन व मोबाइल सीम अन्य का प्राप्त कर उनके आईडी प्रयोग कर स्वयं संचालन कर धन अर्जित करते हैं।

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता अभियुक्त-**

1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज
2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़
3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़

### **विवरण बरामदगी-**

- 01-अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक व पासपोर्ट
- 02- अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त पोको मोबाइल नीला रंग व पासपोर्ट
- 03- अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त वन प्लस मोबाइल व पासपोर्ट

### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर
2. मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर

**गिरफ्तारी स्थान-** थाना राजेसुल्तानपुर परिसर

**गिरफ्तारी समय-** 12.50 बजे

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-**

1. थानाध्यक्ष अक्षय कुमार पटेल थाना राजेसुल्तानपुर
2. उ0नि0 दिनेश कुमार थाना राजेसुल्तानपुर
3. उ0नि0 शिवम सिंह थाना राजेसुल्तानपुर
4. हे0का0 संतोष यादव थाना राजेसुल्तानपुर
5. निरीक्षक अजय प्रताप यादव (प्रभारी निरीक्षक थाना जहॉंगीरगंज)
6. उ0नि0 प्रभाकान्त तिवारी (प्रभारी सर्विलांस सेल मय सर्विलांस व स्वाट टीम)
7. हे0का0 उमेश कुमार यादव
8. हे0का0 अमरेश यादव
9. हे0का0 विकास ओझा
10. हे0का0 पुनीत गुप्ता
11. हे0का0 सुनील कुमार
12. का0 शिवम शर्मा
13. का0 विपिन सिंह राठौर
14. का0 सौरभ पाण्डेय
15. का0 दिव्यांश यादव



**प्रेस नोट**

**जनपद अम्बेडकरनगर**

**थाना राजेसुल्तानपुर**

**दिनांक-13.09.2025**

**जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस अधीक्षक श्री केशव कुमार के निर्देशन पर थाना राजेसुल्तानपुर/ थाना जहांगीरगंज/ सर्विलांस/स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा विदेश भेजने के नाम पर लोगों से छल व धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.09.2025 को वादीगण विजय कुमार निषाद पुत्र धनुषधारी निषाद नि0ग्राम सकरा दक्षिण थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर व रामवृक्ष पुत्र स्व0 रामलौट ग्राम नया गाँव थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर व नरसिंह पुत्र नेबूलाल निवासी ग्राम हरैया थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर व बाबूराम पुत्र श्रीराम ग्राम हुसैनपुर मुस्लमान थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर व नाजिम अली पुत्र मु0 इस्माईल ग्राम मदनगढ थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर के तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण द्वारा छल व धोखाधड़ी करते हुए प्रार्थीगण को विदेश भेजने के नाम पर ऑनलाइन व नगद रुपये ले लेने व कूटरचना कर कूटरचित फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट का टिकट आदि दे देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसपर मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS व मु0अ0सं0-185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS पंजीकृत किया गया था जो अभियुक्तगण 1.अजय साहनी पुत्र अज्ञात निवासी गोरखपुर 2.सीमा तिवारी खरे पुत्री युवराज वाला साहब खरे निवासी एम-024 सिद्धेश्वर मित्र मण्डल रामनगर घाट कोपर वेस्ट मुम्बई महाराष्ट्र 400086 3.जितेन्द्र यादव पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 4.साहिल हरेश्वर महता पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 5.धनंजय कुमार पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 6.शशिकान्त सेठ पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 7. बन्टी पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 8. शिवांगी पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 9. प्रीति पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 10. कुछ अन्य सहयोगी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध हुआ था।

**कार्यवाही का विवरण** – उपरोक्त फ़ाड के सम्बन्ध में घटनास्थल पर जाकर जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि पदुमपुर चौराहे पर स्थित हरि प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री भागवत प्रसाद नि0ग्राम प्रतापपुर रुपईपट्टी थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर के मकान पर जिसको उन्होंने विनोद जायसवाल पुत्र कुन्ज विहारी नि0ग्राम नसीरपुर थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर को 12500 रुपये महिने के किराये पर दिया गया था। विनोद जायसवाल ने उसी किराये के कमरों में से एक कमरा अजय साहनी निवासी गोरखपुर को 6500 रुपये मासिक किराये पर दिया था जिसमें अजय साहनी व उसके सहयोगीयों द्वारा अरेबियन इंटरप्राइजेज के नाम से ब्रांच खोली गयी थी जो लोगों को विदेश भेजने हेतु फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट टिकट उपलब्ध कराती थी उक्त प्रकरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अभियुक्तों के बैंक खाता विवरण (जिसमें अभियुक्तों में पेमेंट मंगवाया था) का सत्यापन, संदिग्ध सिम कार्ड के नाम व पता की जानकारी की गयी तो सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था व इस सम्बन्ध में सत्यंजय गौड़ से पूछने पर उसने बताया कि शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह व विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह नि0गण 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ के कहने पर मैंने धनंजय कुमार पुत्र कृष्णाप्रसाद नि0ग्राम रिठैया धरवार थाना करछना जनपद प्रयागराज के नाम से खाता खुलवाकर पासबुक व एटीएम शुभम प्रसाद शाह एवं विष्णु प्रसाद शाह को दिया गया था जिस पर शुभम प्रसाद साह व विष्णु प्रसाद साह धारा 179 BNSS की नोटिस के अन्तर्गत अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन प्राप्त होने के उपरान्त जिनसे मुकदमा उपरोक्त में संलिप्तता पाये जाने पर धारा 61(2) BNS की बढोतरी कर अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण-1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज 2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B

कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ 3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ का नाम प्रकाश मे लाकर इनकी गिरफ्तारी समय करीब 12.50 बजे की गयी व अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के पास से एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक का व अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से वन प्लस मोबाइल व अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से पोको मोबाइल नीला रंग व इनके द्वारा बताये गये अलग-अलग स्थानों से पास पोर्ट बरामद हुए।

**विवरण पूछताछ-** पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा थाना राजेसुल्तानपुर मे पंजीकृत मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS व मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS का अपराध किया गया था जिससे पूछताछ मे यह जानकारी आयी कि प्रान्त के भिन्न - भिन्न स्थानों पर जाकर सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से लोगों को आकर्षित कर बैंक का खाता खुलवाकर पास बुक , एटीएम पिन व मोबाइल सीम अन्य का प्राप्त कर उनके आईडी प्रयोग कर स्वयं संचालन कर धन अर्जित करते हैं।

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता अभियुक्त-**

1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज
2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़
3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़

### **विवरण बरामदगी-**

- 01-अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक व पासपोर्ट
- 02- अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त पोको मोबाइल नीला रंग व पासपोर्ट
- 03- अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त वन प्लस मोबाइल व पासपोर्ट

### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर
2. मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर

**गिरफ्तारी स्थान-** थाना राजेसुल्तानपुर परिसर

**गिरफ्तारी समय-** 12.50 बजे

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-**

1. थानाध्यक्ष अक्षय कुमार पटेल थाना राजेसुल्तानपुर
2. उ0नि0 दिनेश कुमार थाना राजेसुल्तानपुर
3. उ0नि0 शिवम सिंह थाना राजेसुल्तानपुर
4. हे0का0 संतोष यादव थाना राजेसुल्तानपुर
5. निरीक्षक अजय प्रताप यादव (प्रभारी निरीक्षक थाना जहॉंगीरगंज)
6. उ0नि0 प्रभाकान्त तिवारी (प्रभारी सर्विलांस सेल मय सर्विलांस व स्वाट टीम)
7. हे0का0 उमेश कुमार यादव
8. हे0का0 अमरेश यादव
9. हे0का0 विकास ओझा
10. हे0का0 पुनीत गुप्ता
11. हे0का0 सुनील कुमार
12. का0 शिवम शर्मा
13. का0 विपिन सिंह राठौर
14. का0 सौरभ पाण्डेय
15. का0 दिव्यांश यादव



प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

थाना राजेसुल्तानपुर

दिनांक-13.09.2025

**जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस अधीक्षक श्री केशव कुमार के निर्देशन पर थाना राजेसुल्तानपुर/ थाना जहांगीरगंज/ सर्विलांस/स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा विदेश भेजने के नाम पर लोगों से छल व धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.09.2025 को वादीगण विजय कुमार निषाद पुत्र धनुषधारी निषाद नि0ग्राम सकरा दक्षिण थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर व रामवृक्ष पुत्र स्व0 रामलौट ग्राम नया गाँव थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर व नरसिंह पुत्र नेबूलाल निवासी ग्राम हरैया थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर व बाबूराम पुत्र श्रीराम ग्राम हुसैनपुर मुस्लमान थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर व नाजिम अली पुत्र मु0 इस्माईल ग्राम मदनगढ थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर के तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण द्वारा छल व धोखाधड़ी करते हुए प्रार्थीगण को विदेश भेजने के नाम पर ऑनलाइन व नगद रुपये ले लेने व कूटरचना कर कूटरचित फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट का टिकट आदि दे देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसपर मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS व मु0अ0सं0-185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS पंजीकृत किया गया था जो अभियुक्तगण 1.अजय साहनी पुत्र अज्ञात निवासी गोरखपुर 2.सीमा तिवारी खरे पुत्री युवराज वाला साहब खरे निवासी एम-024 सिद्धेश्वर मित्र मण्डल रामनगर घाट कोपर वेस्ट मुम्बई महाराष्ट्र 400086 3.जितेन्द्र यादव पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 4.साहिल हरेश्वर महता पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 5.धनंजय कुमार पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 6.शशिकान्त सेठ पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 7. बन्टी पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 8. शिवांगी पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 9. प्रीति पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 10. कुछ अन्य सहयोगी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध हुआ था।

**कार्यवाही का विवरण** – उपरोक्त फ़ाड के सम्बन्ध में घटनास्थल पर जाकर जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि पदमपुर चौराहे पर स्थित हरि प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री भागवत प्रसाद नि0ग्राम प्रतापपुर रुपईपट्टी थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर के मकान पर जिसको उन्होंने विनोद जायसवाल पुत्र कुन्ज विहारी नि0ग्राम नसीरपुर थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर को 12500 रुपये महिने के किराये पर दिया गया था। विनोद जायसवाल ने उसी किराये के कमरों में से एक कमरा अजय साहनी निवासी गोरखपुर को 6500 रुपये मासिक किराये पर दिया था जिसमें अजय साहनी व उसके सहयोगीयों द्वारा अरेबियन इंटरप्राइजेज के नाम से ब्रांच खोली गयी थी जो लोगों को विदेश भेजने हेतु फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट टिकट उपलब्ध कराती थी उक्त प्रकरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अभियुक्तों के बैंक खाता विवरण (जिसमें अभियुक्तों में पेमेंट मंगवाया था) का सत्यापन, संदिग्ध सिम कार्ड के नाम व पता की जानकारी की गयी तो सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था व इस सम्बन्ध में सत्यंजय गौड़ से पूछने पर उसने बताया कि शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह व विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह नि0गण 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ के कहने पर मैंने धनंजय कुमार पुत्र कृष्णाप्रसाद नि0ग्राम रिठैया धरवार थाना करछना जनपद प्रयागराज के नाम से खाता खुलवाकर पासबुक व एटीएम शुभम प्रसाद शाह एवं विष्णु प्रसाद शाह को दिया गया था जिस पर शुभम प्रसाद साह व विष्णु प्रसाद साह धारा 179 BNSS की नोटिस के अन्तर्गत अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन प्राप्त होने के उपरान्त जिनसे मुकदमा उपरोक्त में संलिप्तता पाये जाने पर धारा 61(2) BNS की बढोतरी कर अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण-1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज 2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B

कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ 3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ का नाम प्रकाश मे लाकर इनकी गिरफ्तारी समय करीब 12.50 बजे की गयी व अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के पास से एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक का व अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से वन प्लस मोबाइल व अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से पोको मोबाइल नीला रंग व इनके द्वारा बताये गये अलग-अलग स्थानों से पास पोर्ट बरामद हुए।

**विवरण पूछताछ-** पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा थाना राजेसुल्तानपुर मे पंजीकृत मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS व मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS का अपराध किया गया था जिससे पूछताछ मे यह जानकारी आयी कि प्रान्त के भिन्न - भिन्न स्थानों पर जाकर सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से लोगों को आकर्षित कर बैंक का खाता खुलवाकर पास बुक , एटीएम पिन व मोबाइल सीम अन्य का प्राप्त कर उनके आईडी प्रयोग कर स्वयं संचालन कर धन अर्जित करते हैं।

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता अभियुक्त-**

1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज
2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़
3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़

### **विवरण बरामदगी-**

- 01-अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक व पासपोर्ट
- 02- अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त पोको मोबाइल नीला रंग व पासपोर्ट
- 03- अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त वन प्लस मोबाइल व पासपोर्ट

### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर
2. मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर

**गिरफ्तारी स्थान-** थाना राजेसुल्तानपुर परिसर

**गिरफ्तारी समय-** 12.50 बजे

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-**

1. थानाध्यक्ष अक्षय कुमार पटेल थाना राजेसुल्तानपुर
2. उ0नि0 दिनेश कुमार थाना राजेसुल्तानपुर
3. उ0नि0 शिवम सिंह थाना राजेसुल्तानपुर
4. हे0का0 संतोष यादव थाना राजेसुल्तानपुर
5. निरीक्षक अजय प्रताप यादव (प्रभारी निरीक्षक थाना जहॉंगीरगंज)
6. उ0नि0 प्रभाकान्त तिवारी (प्रभारी सर्विलांस सेल मय सर्विलांस व स्वाट टीम)
7. हे0का0 उमेश कुमार यादव
8. हे0का0 अमरेश यादव
9. हे0का0 विकास ओझा
10. हे0का0 पुनीत गुप्ता
11. हे0का0 सुनील कुमार
12. का0 शिवम शर्मा
13. का0 विपिन सिंह राठौर
14. का0 सौरभ पाण्डेय
15. का0 दिव्यांश यादव



**प्रेस नोट**

**जनपद अम्बेडकरनगर**

**थाना राजेसुल्तानपुर**

**दिनांक-13.09.2025**

**जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस अधीक्षक श्री केशव कुमार के निर्देशन पर थाना राजेसुल्तानपुर/ थाना जहांगीरगंज/ सर्विलांस/स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा विदेश भेजने के नाम पर लोगों से छल व धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.09.2025 को वादीगण विजय कुमार निषाद पुत्र धनुषधारी निषाद नि0ग्राम सकरा दक्षिण थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर व रामवृक्ष पुत्र स्व0 रामलौट ग्राम नया गाँव थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर व नरसिंह पुत्र नेबूलाल निवासी ग्राम हरैया थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर व बाबूराम पुत्र श्रीराम ग्राम हुसैनपुर मुस्लमान थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर व नाजिम अली पुत्र मु0 इस्माईल ग्राम मदनगढ थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर के तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण द्वारा छल व धोखाधड़ी करते हुए प्रार्थीगण को विदेश भेजने के नाम पर ऑनलाइन व नगद रुपये ले लेने व कूटरचना कर कूटरचित फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट का टिकट आदि दे देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसपर मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS व मु0अ0सं0-185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS पंजीकृत किया गया था जो अभियुक्तगण 1.अजय साहनी पुत्र अज्ञात निवासी गोरखपुर 2.सीमा तिवारी खरे पुत्री युवराज वाला साहब खरे निवासी एम-024 सिद्धेश्वर मित्र मण्डल रामनगर घाट कोपर वेस्ट मुम्बई महाराष्ट्र 400086 3.जितेन्द्र यादव पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 4.साहिल हरेश्वर महता पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 5.धनंजय कुमार पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 6.शशिकान्त सेठ पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 7. बन्टी पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 8. शिवांगी पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 9. प्रीति पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 10. कुछ अन्य सहयोगी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध हुआ था।

**कार्यवाही का विवरण** – उपरोक्त फ़ाड के सम्बन्ध में घटनास्थल पर जाकर जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि पदमपुर चौराहे पर स्थित हरि प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री भागवत प्रसाद नि0ग्राम प्रतापपुर रुपईपट्टी थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर के मकान पर जिसको उन्होंने विनोद जायसवाल पुत्र कुन्ज विहारी नि0ग्राम नसीरपुर थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर को 12500 रुपये महिने के किराये पर दिया गया था। विनोद जायसवाल ने उसी किराये के कमरों में से एक कमरा अजय साहनी निवासी गोरखपुर को 6500 रुपये मासिक किराये पर दिया था जिसमें अजय साहनी व उसके सहयोगीयों द्वारा अरेबियन इंटरप्राइजेज के नाम से ब्रांच खोली गयी थी जो लोगों को विदेश भेजने हेतु फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट टिकट उपलब्ध कराती थी उक्त प्रकरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अभियुक्तों के बैंक खाता विवरण (जिसमें अभियुक्तों में पेमेंट मंगवाया था) का सत्यापन, संदिग्ध सिम कार्ड के नाम व पता की जानकारी की गयी तो सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था व इस सम्बन्ध में सत्यंजय गौड़ से पूछने पर उसने बताया कि शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह व विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह नि0गण 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ के कहने पर मैंने धनंजय कुमार पुत्र कृष्णाप्रसाद नि0ग्राम रिठैया धरवार थाना करछना जनपद प्रयागराज के नाम से खाता खुलवाकर पासबुक व एटीएम शुभम प्रसाद शाह एवं विष्णु प्रसाद शाह को दिया गया था जिस पर शुभम प्रसाद साह व विष्णु प्रसाद साह धारा 179 BNSS की नोटिस के अन्तर्गत अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन प्राप्त होने के उपरान्त जिनसे मुकदमा उपरोक्त में संलिप्तता पाये जाने पर धारा 61(2) BNS की बढोत्तरी कर अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण-1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज 2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B

कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ 3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ का नाम प्रकाश मे लाकर इनकी गिरफ्तारी समय करीब 12.50 बजे की गयी व अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के पास से एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक का व अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से वन प्लस मोबाइल व अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से पोको मोबाइल नीला रंग व इनके द्वारा बताये गये अलग-अलग स्थानों से पास पोर्ट बरामद हुए।

**विवरण पूछताछ-** पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा थाना राजेसुल्तानपुर मे पंजीकृत मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS व मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS का अपराध किया गया था जिससे पूछताछ मे यह जानकारी आयी कि प्रान्त के भिन्न - भिन्न स्थानों पर जाकर सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से लोगों को आकर्षित कर बैंक का खाता खुलवाकर पास बुक , एटीएम पिन व मोबाइल सीम अन्य का प्राप्त कर उनके आईडी प्रयोग कर स्वयं संचालन कर धन अर्जित करते हैं।

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता अभियुक्त-**

1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज
2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़
3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़

### **विवरण बरामदगी-**

- 01-अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक व पासपोर्ट
- 02- अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त पोको मोबाइल नीला रंग व पासपोर्ट
- 03- अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त वन प्लस मोबाइल व पासपोर्ट

### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर
2. मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर

**गिरफ्तारी स्थान-** थाना राजेसुल्तानपुर परिसर

**गिरफ्तारी समय-** 12.50 बजे

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-**

1. थानाध्यक्ष अक्षय कुमार पटेल थाना राजेसुल्तानपुर
2. उ0नि0 दिनेश कुमार थाना राजेसुल्तानपुर
3. उ0नि0 शिवम सिंह थाना राजेसुल्तानपुर
4. हे0का0 संतोष यादव थाना राजेसुल्तानपुर
5. निरीक्षक अजय प्रताप यादव (प्रभारी निरीक्षक थाना जहॉंगीरगंज)
6. उ0नि0 प्रभाकान्त तिवारी (प्रभारी सर्विलांस सेल मय सर्विलांस व स्वाट टीम)
7. हे0का0 उमेश कुमार यादव
8. हे0का0 अमरेश यादव
9. हे0का0 विकास ओझा
10. हे0का0 पुनीत गुप्ता
11. हे0का0 सुनील कुमार
12. का0 शिवम शर्मा
13. का0 विपिन सिंह राठौर
14. का0 सौरभ पाण्डेय
15. का0 दिव्यांश यादव



प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

थाना राजेसुल्तानपुर

दिनांक-13.09.2025

**जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस अधीक्षक श्री केशव कुमार के निर्देशन पर थाना राजेसुल्तानपुर/ थाना जहांगीरगंज/ सर्विलांस/स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा विदेश भेजने के नाम पर लोगों से छल व धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.09.2025 को वादीगण विजय कुमार निषाद पुत्र धनुषधारी निषाद नि0ग्राम सकरा दक्षिण थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर व रामवृक्ष पुत्र स्व0 रामलौट ग्राम नया गाँव थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर व नरसिंह पुत्र नेबूलाल निवासी ग्राम हरैया थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर व बाबूराम पुत्र श्रीराम ग्राम हुसैनपुर मुस्लमान थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर व नाजिम अली पुत्र मु0 इस्माईल ग्राम मदनगढ थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर के तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण द्वारा छल व धोखाधड़ी करते हुए प्रार्थीगण को विदेश भेजने के नाम पर ऑनलाइन व नगद रुपये ले लेने व कूटरचना कर कूटरचित फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट का टिकट आदि दे देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसपर मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS व मु0अ0सं0-185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS पंजीकृत किया गया था जो अभियुक्तगण 1.अजय साहनी पुत्र अज्ञात निवासी गोरखपुर 2.सीमा तिवारी खरे पुत्री युवराज वाला साहब खरे निवासी एम-024 सिद्धेश्वर मित्र मण्डल रामनगर घाट कोपर वेस्ट मुम्बई महाराष्ट्र 400086 3.जितेन्द्र यादव पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 4.साहिल हरेश्वर महता पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 5.धनंजय कुमार पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 6.शशिकान्त सेठ पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 7. बन्टी पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 8. शिवांगी पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 9. प्रीति पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 10. कुछ अन्य सहयोगी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध हुआ था।

**कार्यवाही का विवरण** – उपरोक्त फ़ाड के सम्बन्ध में घटनास्थल पर जाकर जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि पदमपुर चौराहे पर स्थित हरि प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री भागवत प्रसाद नि0ग्राम प्रतापपुर रुपईपट्टी थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर के मकान पर जिसको उन्होंने विनोद जायसवाल पुत्र कुन्ज विहारी नि0ग्राम नसीरपुर थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर को 12500 रुपये महिने के किराये पर दिया गया था। विनोद जायसवाल ने उसी किराये के कमरों में से एक कमरा अजय साहनी निवासी गोरखपुर को 6500 रुपये मासिक किराये पर दिया था जिसमें अजय साहनी व उसके सहयोगीयों द्वारा अरेबियन इंटरप्राइजेज के नाम से ब्रांच खोली गयी थी जो लोगों को विदेश भेजने हेतु फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट टिकट उपलब्ध कराती थी उक्त प्रकरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अभियुक्तों के बैंक खाता विवरण (जिसमें अभियुक्तों में पेमेंट मंगवाया था) का सत्यापन, संदिग्ध सिम कार्ड के नाम व पता की जानकारी की गयी तो सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था व इस सम्बन्ध में सत्यंजय गौड़ से पूछने पर उसने बताया कि शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह व विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह नि0गण 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ के कहने पर मैंने धनंजय कुमार पुत्र कृष्णाप्रसाद नि0ग्राम रिठैया धरवार थाना करछना जनपद प्रयागराज के नाम से खाता खुलवाकर पासबुक व एटीएम शुभम प्रसाद शाह एवं विष्णु प्रसाद शाह को दिया गया था जिस पर शुभम प्रसाद साह व विष्णु प्रसाद साह धारा 179 BNSS की नोटिस के अन्तर्गत अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन प्राप्त होने के उपरान्त जिनसे मुकदमा उपरोक्त में संलिप्तता पाये जाने पर धारा 61(2) BNS की बढोत्तरी कर अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण-1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज 2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B

कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ 3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ का नाम प्रकाश मे लाकर इनकी गिरफ्तारी समय करीब 12.50 बजे की गयी व अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के पास से एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक का व अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से वन प्लस मोबाइल व अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से पोको मोबाइल नीला रंग व इनके द्वारा बताये गये अलग-अलग स्थानों से पास पोर्ट बरामद हुए।

**विवरण पूछताछ-** पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा थाना राजेसुल्तानपुर मे पंजीकृत मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS व मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS का अपराध किया गया था जिससे पूछताछ मे यह जानकारी आयी कि प्रान्त के भिन्न - भिन्न स्थानों पर जाकर सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से लोगों को आकर्षित कर बैंक का खाता खुलवाकर पास बुक , एटीएम पिन व मोबाइल सीम अन्य का प्राप्त कर उनके आईडी प्रयोग कर स्वयं संचालन कर धन अर्जित करते हैं।

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता अभियुक्त-**

1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज
2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़
3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़

### **विवरण बरामदगी-**

- 01-अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक व पासपोर्ट
- 02- अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त पोको मोबाइल नीला रंग व पासपोर्ट
- 03- अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त वन प्लस मोबाइल व पासपोर्ट

### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर
2. मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर

**गिरफ्तारी स्थान-** थाना राजेसुल्तानपुर परिसर

**गिरफ्तारी समय-** 12.50 बजे

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-**

1. थानाध्यक्ष अक्षय कुमार पटेल थाना राजेसुल्तानपुर
2. उ0नि0 दिनेश कुमार थाना राजेसुल्तानपुर
3. उ0नि0 शिवम सिंह थाना राजेसुल्तानपुर
4. हे0का0 संतोष यादव थाना राजेसुल्तानपुर
5. निरीक्षक अजय प्रताप यादव (प्रभारी निरीक्षक थाना जहॉंगीरगंज)
6. उ0नि0 प्रभाकान्त तिवारी (प्रभारी सर्विलांस सेल मय सर्विलांस व स्वाट टीम)
7. हे0का0 उमेश कुमार यादव
8. हे0का0 अमरेश यादव
9. हे0का0 विकास ओझा
10. हे0का0 पुनीत गुप्ता
11. हे0का0 सुनील कुमार
12. का0 शिवम शर्मा
13. का0 विपिन सिंह राठौर
14. का0 सौरभ पाण्डेय
15. का0 दिव्यांश यादव



**प्रेस नोट**

**जनपद अम्बेडकरनगर**

**थाना राजेसुल्तानपुर**

**दिनांक-13.09.2025**

**जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस अधीक्षक श्री केशव कुमार के निर्देशन पर थाना राजेसुल्तानपुर/ थाना जहांगीरगंज/ सर्विलांस/स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा विदेश भेजने के नाम पर लोगों से छल व धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.09.2025 को वादीगण विजय कुमार निषाद पुत्र धनुषधारी निषाद नि0ग्राम सकरा दक्षिण थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर व रामवृक्ष पुत्र स्व0 रामलौट ग्राम नया गाँव थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर व नरसिंह पुत्र नेबूलाल निवासी ग्राम हरैया थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर व बाबूराम पुत्र श्रीराम ग्राम हुसैनपुर मुस्लमान थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर व नाजिम अली पुत्र मु0 इस्माईल ग्राम मदनगढ थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर के तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण द्वारा छल व धोखाधड़ी करते हुए प्रार्थीगण को विदेश भेजने के नाम पर ऑनलाइन व नगद रुपये ले लेने व कूटरचना कर कूटरचित फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट का टिकट आदि दे देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसपर मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS व मु0अ0सं0-185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS पंजीकृत किया गया था जो अभियुक्तगण 1.अजय साहनी पुत्र अज्ञात निवासी गोरखपुर 2.सीमा तिवारी खरे पुत्री युवराज वाला साहब खरे निवासी एम-024 सिद्धेश्वर मित्र मण्डल रामनगर घाट कोपर वेस्ट मुम्बई महाराष्ट्र 400086 3.जितेन्द्र यादव पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 4.साहिल हरेश्वर महता पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 5.धनंजय कुमार पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 6.शशिकान्त सेठ पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 7. बन्टी पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 8. शिवांगी पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 9. प्रीति पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 10. कुछ अन्य सहयोगी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध हुआ था।

**कार्यवाही का विवरण** – उपरोक्त फ़ाड के सम्बन्ध में घटनास्थल पर जाकर जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि पदमपुर चौराहे पर स्थित हरि प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री भागवत प्रसाद नि0ग्राम प्रतापपुर रुपईपट्टी थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर के मकान पर जिसको उन्होंने विनोद जायसवाल पुत्र कुन्ज विहारी नि0ग्राम नसीरपुर थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर को 12500 रुपये महिने के किराये पर दिया गया था। विनोद जायसवाल ने उसी किराये के कमरों में से एक कमरा अजय साहनी निवासी गोरखपुर को 6500 रुपये मासिक किराये पर दिया था जिसमें अजय साहनी व उसके सहयोगीयों द्वारा अरेबियन इंटरप्राइजेज के नाम से ब्रांच खोली गयी थी जो लोगों को विदेश भेजने हेतु फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट टिकट उपलब्ध कराती थी उक्त प्रकरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अभियुक्तों के बैंक खाता विवरण (जिसमें अभियुक्तों में पेमेंट मंगवाया था) का सत्यापन, संदिग्ध सिम कार्ड के नाम व पता की जानकारी की गयी तो सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था व इस सम्बन्ध में सत्यंजय गौड़ से पूछने पर उसने बताया कि शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह व विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह नि0गण 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ के कहने पर मैंने धनंजय कुमार पुत्र कृष्णाप्रसाद नि0ग्राम रिठैया धरवार थाना करछना जनपद प्रयागराज के नाम से खाता खुलवाकर पासबुक व एटीएम शुभम प्रसाद शाह एवं विष्णु प्रसाद शाह को दिया गया था जिस पर शुभम प्रसाद साह व विष्णु प्रसाद साह धारा 179 BNSS की नोटिस के अन्तर्गत अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन प्राप्त होने के उपरान्त जिनसे मुकदमा उपरोक्त में संलिप्तता पाये जाने पर धारा 61(2) BNS की बढोतरी कर अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण-1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज 2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B

कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ 3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ का नाम प्रकाश मे लाकर इनकी गिरफ्तारी समय करीब 12.50 बजे की गयी व अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के पास से एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक का व अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से वन प्लस मोबाइल व अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से पोको मोबाइल नीला रंग व इनके द्वारा बताये गये अलग-अलग स्थानों से पास पोर्ट बरामद हुए।

**विवरण पूछताछ-** पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा थाना राजेसुल्तानपुर मे पंजीकृत मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS व मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS का अपराध किया गया था जिससे पूछताछ मे यह जानकारी आयी कि प्रान्त के भिन्न - भिन्न स्थानों पर जाकर सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से लोगों को आकर्षित कर बैंक का खाता खुलवाकर पास बुक , एटीएम पिन व मोबाइल सीम अन्य का प्राप्त कर उनके आईडी प्रयोग कर स्वयं संचालन कर धन अर्जित करते हैं।

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता अभियुक्त-**

1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज
2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़
3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़

### **विवरण बरामदगी-**

- 01-अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक व पासपोर्ट
- 02- अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त पोको मोबाइल नीला रंग व पासपोर्ट
- 03- अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त वन प्लस मोबाइल व पासपोर्ट

### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर
2. मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर

**गिरफ्तारी स्थान-** थाना राजेसुल्तानपुर परिसर

**गिरफ्तारी समय-** 12.50 बजे

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-**

1. थानाध्यक्ष अक्षय कुमार पटेल थाना राजेसुल्तानपुर
2. उ0नि0 दिनेश कुमार थाना राजेसुल्तानपुर
3. उ0नि0 शिवम सिंह थाना राजेसुल्तानपुर
4. हे0का0 संतोष यादव थाना राजेसुल्तानपुर
5. निरीक्षक अजय प्रताप यादव (प्रभारी निरीक्षक थाना जहॉंगीरगंज)
6. उ0नि0 प्रभाकान्त तिवारी (प्रभारी सर्विलांस सेल मय सर्विलांस व स्वाट टीम)
7. हे0का0 उमेश कुमार यादव
8. हे0का0 अमरेश यादव
9. हे0का0 विकास ओझा
10. हे0का0 पुनीत गुप्ता
11. हे0का0 सुनील कुमार
12. का0 शिवम शर्मा
13. का0 विपिन सिंह राठौर
14. का0 सौरभ पाण्डेय
15. का0 दिव्यांश यादव



प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

थाना राजेसुल्तानपुर

दिनांक-13.09.2025

**जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस अधीक्षक श्री केशव कुमार के निर्देशन पर थाना राजेसुल्तानपुर/ थाना जहांगीरगंज/ सर्विलांस/स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा विदेश भेजने के नाम पर लोगों से छल व धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.09.2025 को वादीगण विजय कुमार निषाद पुत्र धनुषधारी निषाद नि0ग्राम सकरा दक्षिण थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर व रामवृक्ष पुत्र स्व0 रामलौट ग्राम नया गाँव थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर व नरसिंह पुत्र नेबूलाल निवासी ग्राम हरैया थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर व बाबूराम पुत्र श्रीराम ग्राम हुसैनपुर मुस्लमान थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर व नाजिम अली पुत्र मु0 इस्माईल ग्राम मदनगढ थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर के तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण द्वारा छल व धोखाधड़ी करते हुए प्रार्थीगण को विदेश भेजने के नाम पर ऑनलाइन व नगद रुपये ले लेने व कूटरचना कर कूटरचित फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट का टिकट आदि दे देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसपर मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS व मु0अ0सं0-185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS पंजीकृत किया गया था जो अभियुक्तगण 1.अजय साहनी पुत्र अज्ञात निवासी गोरखपुर 2.सीमा तिवारी खरे पुत्री युवराज वाला साहब खरे निवासी एम-024 सिद्धेश्वर मित्र मण्डल रामनगर घाट कोपर वेस्ट मुम्बई महाराष्ट्र 400086 3.जितेन्द्र यादव पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 4.साहिल हरेश्वर महता पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 5.धनंजय कुमार पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 6.शशिकान्त सेठ पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 7. बन्टी पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 8. शिवांगी पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 9. प्रीति पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 10. कुछ अन्य सहयोगी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध हुआ था।

**कार्यवाही का विवरण** – उपरोक्त फ़ाड के सम्बन्ध में घटनास्थल पर जाकर जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि पदमपुर चौराहे पर स्थित हरि प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री भागवत प्रसाद नि0ग्राम प्रतापपुर रुपईपट्टी थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर के मकान पर जिसको उन्होंने विनोद जायसवाल पुत्र कुन्ज विहारी नि0ग्राम नसीरपुर थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर को 12500 रुपये महिने के किराये पर दिया गया था। विनोद जायसवाल ने उसी किराये के कमरों में से एक कमरा अजय साहनी निवासी गोरखपुर को 6500 रुपये मासिक किराये पर दिया था जिसमें अजय साहनी व उसके सहयोगीयों द्वारा अरेबियन इंटरप्राइजेज के नाम से ब्रांच खोली गयी थी जो लोगों को विदेश भेजने हेतु फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट टिकट उपलब्ध कराती थी उक्त प्रकरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अभियुक्तों के बैंक खाता विवरण (जिसमें अभियुक्तों में पेमेंट मंगवाया था) का सत्यापन, संदिग्ध सिम कार्ड के नाम व पता की जानकारी की गयी तो सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था व इस सम्बन्ध में सत्यंजय गौड़ से पूछने पर उसने बताया कि शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह व विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह नि0गण 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ के कहने पर मैंने धनंजय कुमार पुत्र कृष्णाप्रसाद नि0ग्राम रिठैया धरवार थाना करछना जनपद प्रयागराज के नाम से खाता खुलवाकर पासबुक व एटीएम शुभम प्रसाद शाह एवं विष्णु प्रसाद शाह को दिया गया था जिस पर शुभम प्रसाद साह व विष्णु प्रसाद साह धारा 179 BNSS की नोटिस के अन्तर्गत अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन प्राप्त होने के उपरान्त जिनसे मुकदमा उपरोक्त में संलिप्तता पाये जाने पर धारा 61(2) BNS की बढोत्तरी कर अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण-1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज 2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B

कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ 3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ का नाम प्रकाश मे लाकर इनकी गिरफ्तारी समय करीब 12.50 बजे की गयी व अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के पास से एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक का व अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से वन प्लस मोबाइल व अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से पोको मोबाइल नीला रंग व इनके द्वारा बताये गये अलग-अलग स्थानों से पास पोर्ट बरामद हुए।

**विवरण पूछताछ-** पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा थाना राजेसुल्तानपुर मे पंजीकृत मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS व मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS का अपराध किया गया था जिससे पूछताछ मे यह जानकारी आयी कि प्रान्त के भिन्न - भिन्न स्थानों पर जाकर सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से लोगों को आकर्षित कर बैंक का खाता खुलवाकर पास बुक , एटीएम पिन व मोबाइल सीम अन्य का प्राप्त कर उनके आईडी प्रयोग कर स्वयं संचालन कर धन अर्जित करते हैं।

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता अभियुक्त-**

1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज
2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़
3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़

### **विवरण बरामदगी-**

- 01-अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक व पासपोर्ट
- 02- अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त पोको मोबाइल नीला रंग व पासपोर्ट
- 03- अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त वन प्लस मोबाइल व पासपोर्ट

### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर
2. मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर

**गिरफ्तारी स्थान-** थाना राजेसुल्तानपुर परिसर

**गिरफ्तारी समय-** 12.50 बजे

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-**

1. थानाध्यक्ष अक्षय कुमार पटेल थाना राजेसुल्तानपुर
2. उ0नि0 दिनेश कुमार थाना राजेसुल्तानपुर
3. उ0नि0 शिवम सिंह थाना राजेसुल्तानपुर
4. हे0का0 संतोष यादव थाना राजेसुल्तानपुर
5. निरीक्षक अजय प्रताप यादव (प्रभारी निरीक्षक थाना जहॉंगीरगंज)
6. उ0नि0 प्रभाकान्त तिवारी (प्रभारी सर्विलांस सेल मय सर्विलांस व स्वाट टीम)
7. हे0का0 उमेश कुमार यादव
8. हे0का0 अमरेश यादव
9. हे0का0 विकास ओझा
10. हे0का0 पुनीत गुप्ता
11. हे0का0 सुनील कुमार
12. का0 शिवम शर्मा
13. का0 विपिन सिंह राठौर
14. का0 सौरभ पाण्डेय
15. का0 दिव्यांश यादव



**प्रेस नोट**

**जनपद अम्बेडकरनगर**

**थाना राजेसुल्तानपुर**

**दिनांक-13.09.2025**

**जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस अधीक्षक श्री केशव कुमार के निर्देशन पर थाना राजेसुल्तानपुर/ थाना जहांगीरगंज/ सर्विलांस/स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा विदेश भेजने के नाम पर लोगों से छल व धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.09.2025 को वादीगण विजय कुमार निषाद पुत्र धनुषधारी निषाद नि0ग्राम सकरा दक्षिण थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर व रामवृक्ष पुत्र स्व0 रामलौट ग्राम नया गाँव थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर व नरसिंह पुत्र नेबूलाल निवासी ग्राम हरैया थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर व बाबूराम पुत्र श्रीराम ग्राम हुसैनपुर मुस्लमान थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर व नाजिम अली पुत्र मु0 इस्माईल ग्राम मदनगढ थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर के तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण द्वारा छल व धोखाधड़ी करते हुए प्रार्थीगण को विदेश भेजने के नाम पर ऑनलाइन व नगद रुपये ले लेने व कूटरचना कर कूटरचित फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट का टिकट आदि दे देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसपर मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS व मु0अ0सं0-185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS पंजीकृत किया गया था जो अभियुक्तगण 1.अजय साहनी पुत्र अज्ञात निवासी गोरखपुर 2.सीमा तिवारी खरे पुत्री युवराज वाला साहब खरे निवासी एम-024 सिद्धेश्वर मित्र मण्डल रामनगर घाट कोपर वेस्ट मुम्बई महाराष्ट्र 400086 3.जितेन्द्र यादव पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 4.साहिल हरेश्वर महता पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 5.धनंजय कुमार पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 6.शशिकान्त सेठ पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 7. बन्टी पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 8. शिवांगी पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 9. प्रीति पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 10. कुछ अन्य सहयोगी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध हुआ था।

**कार्यवाही का विवरण** – उपरोक्त फ़ाड के सम्बन्ध में घटनास्थल पर जाकर जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि पदमपुर चौराहे पर स्थित हरि प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री भागवत प्रसाद नि0ग्राम प्रतापपुर रुपईपट्टी थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर के मकान पर जिसको उन्होंने विनोद जायसवाल पुत्र कुन्ज विहारी नि0ग्राम नसीरपुर थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर को 12500 रुपये महिने के किराये पर दिया गया था। विनोद जायसवाल ने उसी किराये के कमरों में से एक कमरा अजय साहनी निवासी गोरखपुर को 6500 रुपये मासिक किराये पर दिया था जिसमें अजय साहनी व उसके सहयोगीयों द्वारा अरेबियन इंटरप्राइजेज के नाम से ब्रांच खोली गयी थी जो लोगों को विदेश भेजने हेतु फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट टिकट उपलब्ध कराती थी उक्त प्रकरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अभियुक्तों के बैंक खाता विवरण (जिसमें अभियुक्तों में पेमेंट मंगवाया था) का सत्यापन, संदिग्ध सिम कार्ड के नाम व पता की जानकारी की गयी तो सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था व इस सम्बन्ध में सत्यंजय गौड़ से पूछने पर उसने बताया कि शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह व विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह नि0गण 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ के कहने पर मैंने धनंजय कुमार पुत्र कृष्णाप्रसाद नि0ग्राम रिठैया धरवार थाना करछना जनपद प्रयागराज के नाम से खाता खुलवाकर पासबुक व एटीएम शुभम प्रसाद शाह एवं विष्णु प्रसाद शाह को दिया गया था जिस पर शुभम प्रसाद साह व विष्णु प्रसाद साह धारा 179 BNSS की नोटिस के अन्तर्गत अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन प्राप्त होने के उपरान्त जिनसे मुकदमा उपरोक्त में संलिप्तता पाये जाने पर धारा 61(2) BNS की बढोतरी कर अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण-1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज 2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B

कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ 3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ का नाम प्रकाश मे लाकर इनकी गिरफ्तारी समय करीब 12.50 बजे की गयी व अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के पास से एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक का व अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से वन प्लस मोबाइल व अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से पोको मोबाइल नीला रंग व इनके द्वारा बताये गये अलग-अलग स्थानों से पास पोर्ट बरामद हुए।

**विवरण पूछताछ-** पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा थाना राजेसुल्तानपुर मे पंजीकृत मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS व मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS का अपराध किया गया था जिससे पूछताछ मे यह जानकारी आयी कि प्रान्त के भिन्न - भिन्न स्थानों पर जाकर सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से लोगों को आकर्षित कर बैंक का खाता खुलवाकर पास बुक , एटीएम पिन व मोबाइल सीम अन्य का प्राप्त कर उनके आईडी प्रयोग कर स्वयं संचालन कर धन अर्जित करते हैं।

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता अभियुक्त-**

1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज
2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़
3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़

### **विवरण बरामदगी-**

- 01-अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक व पासपोर्ट
- 02- अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त पोको मोबाइल नीला रंग व पासपोर्ट
- 03- अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त वन प्लस मोबाइल व पासपोर्ट

### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर
2. मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर

**गिरफ्तारी स्थान-** थाना राजेसुल्तानपुर परिसर

**गिरफ्तारी समय-** 12.50 बजे

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-**

1. थानाध्यक्ष अक्षय कुमार पटेल थाना राजेसुल्तानपुर
2. उ0नि0 दिनेश कुमार थाना राजेसुल्तानपुर
3. उ0नि0 शिवम सिंह थाना राजेसुल्तानपुर
4. हे0का0 संतोष यादव थाना राजेसुल्तानपुर
5. निरीक्षक अजय प्रताप यादव (प्रभारी निरीक्षक थाना जहॉंगीरगंज)
6. उ0नि0 प्रभाकान्त तिवारी (प्रभारी सर्विलांस सेल मय सर्विलांस व स्वाट टीम)
7. हे0का0 उमेश कुमार यादव
8. हे0का0 अमरेश यादव
9. हे0का0 विकास ओझा
10. हे0का0 पुनीत गुप्ता
11. हे0का0 सुनील कुमार
12. का0 शिवम शर्मा
13. का0 विपिन सिंह राठौर
14. का0 सौरभ पाण्डेय
15. का0 दिव्यांश यादव



**प्रेस नोट**

**जनपद अम्बेडकरनगर**

**थाना राजेसुल्तानपुर**

**दिनांक-13.09.2025**

**जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस अधीक्षक श्री केशव कुमार के निर्देशन पर थाना राजेसुल्तानपुर/ थाना जहांगीरगंज/ सर्विलांस/स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा विदेश भेजने के नाम पर लोगों से छल व धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.09.2025 को वादीगण विजय कुमार निषाद पुत्र धनुषधारी निषाद नि0ग्राम सकरा दक्षिण थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर व रामवृक्ष पुत्र स्व0 रामलौट ग्राम नया गाँव थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर व नरसिंह पुत्र नेबूलाल निवासी ग्राम हरैया थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर व बाबूराम पुत्र श्रीराम ग्राम हुसैनपुर मुस्लमान थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर व नाजिम अली पुत्र मु0 इस्माईल ग्राम मदनगढ थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर के तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण द्वारा छल व धोखाधड़ी करते हुए प्रार्थीगण को विदेश भेजने के नाम पर ऑनलाइन व नगद रुपये ले लेने व कूटरचना कर कूटरचित फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट का टिकट आदि दे देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसपर मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS व मु0अ0सं0-185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS पंजीकृत किया गया था जो अभियुक्तगण 1.अजय साहनी पुत्र अज्ञात निवासी गोरखपुर 2.सीमा तिवारी खरे पुत्री युवराज वाला साहब खरे निवासी एम-024 सिद्धेश्वर मित्र मण्डल रामनगर घाट कोपर वेस्ट मुम्बई महाराष्ट्र 400086 3.जितेन्द्र यादव पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 4.साहिल हरेश्वर महता पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 5.धनंजय कुमार पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 6.शशिकान्त सेठ पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 7. बन्टी पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 8. शिवांगी पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 9. प्रीति पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 10. कुछ अन्य सहयोगी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध हुआ था।

**कार्यवाही का विवरण** – उपरोक्त फ़ाड के सम्बन्ध में घटनास्थल पर जाकर जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि पदमपुर चौराहे पर स्थित हरि प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री भागवत प्रसाद नि0ग्राम प्रतापपुर रुपईपट्टी थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर के मकान पर जिसको उन्होंने विनोद जायसवाल पुत्र कुन्ज विहारी नि0ग्राम नसीरपुर थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर को 12500 रुपये महिने के किराये पर दिया गया था। विनोद जायसवाल ने उसी किराये के कमरों में से एक कमरा अजय साहनी निवासी गोरखपुर को 6500 रुपये मासिक किराये पर दिया था जिसमें अजय साहनी व उसके सहयोगीयों द्वारा अरेबियन इंटरप्राइजेज के नाम से ब्रांच खोली गयी थी जो लोगों को विदेश भेजने हेतु फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट टिकट उपलब्ध कराती थी उक्त प्रकरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अभियुक्तों के बैंक खाता विवरण (जिसमें अभियुक्तों में पेमेंट मंगवाया था) का सत्यापन, संदिग्ध सिम कार्ड के नाम व पता की जानकारी की गयी तो सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था व इस सम्बन्ध में सत्यंजय गौड़ से पूछने पर उसने बताया कि शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह व विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह नि0गण 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ के कहने पर मैंने धनंजय कुमार पुत्र कृष्णाप्रसाद नि0ग्राम रिठैया धरवार थाना करछना जनपद प्रयागराज के नाम से खाता खुलवाकर पासबुक व एटीएम शुभम प्रसाद शाह एवं विष्णु प्रसाद शाह को दिया गया था जिस पर शुभम प्रसाद साह व विष्णु प्रसाद साह धारा 179 BNSS की नोटिस के अन्तर्गत अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन प्राप्त होने के उपरान्त जिनसे मुकदमा उपरोक्त में संलिप्तता पाये जाने पर धारा 61(2) BNS की बढोतरी कर अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण-1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज 2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B

कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ 3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ का नाम प्रकाश मे लाकर इनकी गिरफ्तारी समय करीब 12.50 बजे की गयी व अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के पास से एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक का व अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से वन प्लस मोबाइल व अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से पोको मोबाइल नीला रंग व इनके द्वारा बताये गये अलग-अलग स्थानों से पास पोर्ट बरामद हुए।

**विवरण पूछताछ-** पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा थाना राजेसुल्तानपुर मे पंजीकृत मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS व मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS का अपराध किया गया था जिससे पूछताछ मे यह जानकारी आयी कि प्रान्त के भिन्न - भिन्न स्थानों पर जाकर सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से लोगों को आकर्षित कर बैंक का खाता खुलवाकर पास बुक , एटीएम पिन व मोबाइल सीम अन्य का प्राप्त कर उनके आईडी प्रयोग कर स्वयं संचालन कर धन अर्जित करते हैं।

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता अभियुक्त-**

1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज
2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़
3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़

### **विवरण बरामदगी-**

- 01-अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक व पासपोर्ट
- 02- अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त पोको मोबाइल नीला रंग व पासपोर्ट
- 03- अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त वन प्लस मोबाइल व पासपोर्ट

### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर
2. मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर

**गिरफ्तारी स्थान-** थाना राजेसुल्तानपुर परिसर

**गिरफ्तारी समय-** 12.50 बजे

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-**

1. थानाध्यक्ष अक्षय कुमार पटेल थाना राजेसुल्तानपुर
2. उ0नि0 दिनेश कुमार थाना राजेसुल्तानपुर
3. उ0नि0 शिवम सिंह थाना राजेसुल्तानपुर
4. हे0का0 संतोष यादव थाना राजेसुल्तानपुर
5. निरीक्षक अजय प्रताप यादव (प्रभारी निरीक्षक थाना जहॉंगीरगंज)
6. उ0नि0 प्रभाकान्त तिवारी (प्रभारी सर्विलांस सेल मय सर्विलांस व स्वाट टीम)
7. हे0का0 उमेश कुमार यादव
8. हे0का0 अमरेश यादव
9. हे0का0 विकास ओझा
10. हे0का0 पुनीत गुप्ता
11. हे0का0 सुनील कुमार
12. का0 शिवम शर्मा
13. का0 विपिन सिंह राठौर
14. का0 सौरभ पाण्डेय
15. का0 दिव्यांश यादव



प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

थाना राजेसुल्तानपुर

दिनांक-13.09.2025

**जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस अधीक्षक श्री केशव कुमार के निर्देशन पर थाना राजेसुल्तानपुर/ थाना जहांगीरगंज/ सर्विलांस/स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा विदेश भेजने के नाम पर लोगों से छल व धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.09.2025 को वादीगण विजय कुमार निषाद पुत्र धनुषधारी निषाद नि0ग्राम सकरा दक्षिण थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर व रामवृक्ष पुत्र स्व0 रामलौट ग्राम नया गाँव थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर व नरसिंह पुत्र नेबूलाल निवासी ग्राम हरैया थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर व बाबूराम पुत्र श्रीराम ग्राम हुसैनपुर मुस्लमान थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर व नाजिम अली पुत्र मु0 इस्माईल ग्राम मदनगढ थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर के तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण द्वारा छल व धोखाधड़ी करते हुए प्रार्थीगण को विदेश भेजने के नाम पर ऑनलाइन व नगद रुपये ले लेने व कूटरचना कर कूटरचित फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट का टिकट आदि दे देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसपर मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS व मु0अ0सं0-185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS पंजीकृत किया गया था जो अभियुक्तगण 1.अजय साहनी पुत्र अज्ञात निवासी गोरखपुर 2.सीमा तिवारी खरे पुत्री युवराज वाला साहब खरे निवासी एम-024 सिद्धेश्वर मित्र मण्डल रामनगर घाट कोपर वेस्ट मुम्बई महाराष्ट्र 400086 3.जितेन्द्र यादव पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 4.साहिल हरेश्वर महता पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 5.धनंजय कुमार पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 6.शशिकान्त सेठ पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 7. बन्टी पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 8. शिवांगी पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 9. प्रीति पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 10. कुछ अन्य सहयोगी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध हुआ था।

**कार्यवाही का विवरण** – उपरोक्त फ़ाड के सम्बन्ध में घटनास्थल पर जाकर जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि पदमपुर चौराहे पर स्थित हरि प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री भागवत प्रसाद नि0ग्राम प्रतापपुर रुपईपट्टी थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर के मकान पर जिसको उन्होंने विनोद जायसवाल पुत्र कुन्ज विहारी नि0ग्राम नसीरपुर थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर को 12500 रुपये महिने के किराये पर दिया गया था। विनोद जायसवाल ने उसी किराये के कमरों में से एक कमरा अजय साहनी निवासी गोरखपुर को 6500 रुपये मासिक किराये पर दिया था जिसमें अजय साहनी व उसके सहयोगीयों द्वारा अरेबियन इंटरप्राइजेज के नाम से ब्रांच खोली गयी थी जो लोगों को विदेश भेजने हेतु फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट टिकट उपलब्ध कराती थी उक्त प्रकरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अभियुक्तों के बैंक खाता विवरण (जिसमें अभियुक्तों में पेमेंट मंगवाया था) का सत्यापन, संदिग्ध सिम कार्ड के नाम व पता की जानकारी की गयी तो सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था व इस सम्बन्ध में सत्यंजय गौड़ से पूछने पर उसने बताया कि शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह व विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह नि0गण 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ के कहने पर मैंने धनंजय कुमार पुत्र कृष्णाप्रसाद नि0ग्राम रिठैया धरवार थाना करछना जनपद प्रयागराज के नाम से खाता खुलवाकर पासबुक व एटीएम शुभम प्रसाद शाह एवं विष्णु प्रसाद शाह को दिया गया था जिस पर शुभम प्रसाद साह व विष्णु प्रसाद साह धारा 179 BNSS की नोटिस के अन्तर्गत अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन प्राप्त होने के उपरान्त जिनसे मुकदमा उपरोक्त में संलिप्तता पाये जाने पर धारा 61(2) BNS की बढोत्तरी कर अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण-1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज 2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B

कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ 3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ का नाम प्रकाश मे लाकर इनकी गिरफ्तारी समय करीब 12.50 बजे की गयी व अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के पास से एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक का व अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से वन प्लस मोबाइल व अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से पोको मोबाइल नीला रंग व इनके द्वारा बताये गये अलग-अलग स्थानों से पास पोर्ट बरामद हुए।

**विवरण पूछताछ-** पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा थाना राजेसुल्तानपुर मे पंजीकृत मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS व मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS का अपराध किया गया था जिससे पूछताछ मे यह जानकारी आयी कि प्रान्त के भिन्न - भिन्न स्थानों पर जाकर सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से लोगों को आकर्षित कर बैंक का खाता खुलवाकर पास बुक , एटीएम पिन व मोबाइल सीम अन्य का प्राप्त कर उनके आईडी प्रयोग कर स्वयं संचालन कर धन अर्जित करते हैं।

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता अभियुक्त-**

1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज
2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़
3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़

### **विवरण बरामदगी-**

- 01-अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक व पासपोर्ट
- 02- अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त पोको मोबाइल नीला रंग व पासपोर्ट
- 03- अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त वन प्लस मोबाइल व पासपोर्ट

### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर
2. मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर

**गिरफ्तारी स्थान-** थाना राजेसुल्तानपुर परिसर

**गिरफ्तारी समय-** 12.50 बजे

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-**

1. थानाध्यक्ष अक्षय कुमार पटेल थाना राजेसुल्तानपुर
2. उ0नि0 दिनेश कुमार थाना राजेसुल्तानपुर
3. उ0नि0 शिवम सिंह थाना राजेसुल्तानपुर
4. हे0का0 संतोष यादव थाना राजेसुल्तानपुर
5. निरीक्षक अजय प्रताप यादव (प्रभारी निरीक्षक थाना जहॉंगीरगंज)
6. उ0नि0 प्रभाकान्त तिवारी (प्रभारी सर्विलांस सेल मय सर्विलांस व स्वाट टीम)
7. हे0का0 उमेश कुमार यादव
8. हे0का0 अमरेश यादव
9. हे0का0 विकास ओझा
10. हे0का0 पुनीत गुप्ता
11. हे0का0 सुनील कुमार
12. का0 शिवम शर्मा
13. का0 विपिन सिंह राठौर
14. का0 सौरभ पाण्डेय
15. का0 दिव्यांश यादव



**प्रेस नोट**

**जनपद अम्बेडकरनगर**

**थाना राजेसुल्तानपुर**

**दिनांक-13.09.2025**

**जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस अधीक्षक श्री केशव कुमार के निर्देशन पर थाना राजेसुल्तानपुर/ थाना जहांगीरगंज/ सर्विलांस/स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा विदेश भेजने के नाम पर लोगों से छल व धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.09.2025 को वादीगण विजय कुमार निषाद पुत्र धनुषधारी निषाद नि0ग्राम सकरा दक्षिण थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर व रामवृक्ष पुत्र स्व0 रामलौट ग्राम नया गाँव थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर व नरसिंह पुत्र नेबूलाल निवासी ग्राम हरैया थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर व बाबूराम पुत्र श्रीराम ग्राम हुसैनपुर मुस्लमान थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर व नाजिम अली पुत्र मु0 इस्माईल ग्राम मदनगढ थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर के तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण द्वारा छल व धोखाधड़ी करते हुए प्रार्थीगण को विदेश भेजने के नाम पर ऑनलाइन व नगद रुपये ले लेने व कूटरचना कर कूटरचित फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट का टिकट आदि दे देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसपर मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS व मु0अ0सं0-185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS पंजीकृत किया गया था जो अभियुक्तगण 1.अजय साहनी पुत्र अज्ञात निवासी गोरखपुर 2.सीमा तिवारी खरे पुत्री युवराज वाला साहब खरे निवासी एम-024 सिद्धेश्वर मित्र मण्डल रामनगर घाट कोपर वेस्ट मुम्बई महाराष्ट्र 400086 3.जितेन्द्र यादव पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 4.साहिल हरेश्वर महता पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 5.धनंजय कुमार पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 6.शशिकान्त सेठ पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 7. बन्टी पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 8. शिवांगी पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 9. प्रीति पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 10. कुछ अन्य सहयोगी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध हुआ था।

**कार्यवाही का विवरण** – उपरोक्त फ़ाड के सम्बन्ध में घटनास्थल पर जाकर जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि पदमपुर चौराहे पर स्थित हरि प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री भागवत प्रसाद नि0ग्राम प्रतापपुर रुपईपट्टी थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर के मकान पर जिसको उन्होंने विनोद जायसवाल पुत्र कुन्ज विहारी नि0ग्राम नसीरपुर थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर को 12500 रुपये महिने के किराये पर दिया गया था। विनोद जायसवाल ने उसी किराये के कमरों में से एक कमरा अजय साहनी निवासी गोरखपुर को 6500 रुपये मासिक किराये पर दिया था जिसमें अजय साहनी व उसके सहयोगीयों द्वारा अरेबियन इंटरप्राइजेज के नाम से ब्रांच खोली गयी थी जो लोगों को विदेश भेजने हेतु फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट टिकट उपलब्ध कराती थी उक्त प्रकरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अभियुक्तों के बैंक खाता विवरण (जिसमें अभियुक्तों में पेमेंट मंगवाया था) का सत्यापन, संदिग्ध सिम कार्ड के नाम व पता की जानकारी की गयी तो सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था व इस सम्बन्ध में सत्यंजय गौड़ से पूछने पर उसने बताया कि शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह व विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह नि0गण 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ के कहने पर मैंने धनंजय कुमार पुत्र कृष्णाप्रसाद नि0ग्राम रिठैया धरवार थाना करछना जनपद प्रयागराज के नाम से खाता खुलवाकर पासबुक व एटीएम शुभम प्रसाद शाह एवं विष्णु प्रसाद शाह को दिया गया था जिस पर शुभम प्रसाद साह व विष्णु प्रसाद साह धारा 179 BNSS की नोटिस के अन्तर्गत अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन प्राप्त होने के उपरान्त जिनसे मुकदमा उपरोक्त में संलिप्तता पाये जाने पर धारा 61(2) BNS की बढोत्तरी कर अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण-1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज 2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B

कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ 3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ का नाम प्रकाश मे लाकर इनकी गिरफ्तारी समय करीब 12.50 बजे की गयी व अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के पास से एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक का व अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से वन प्लस मोबाइल व अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से पोको मोबाइल नीला रंग व इनके द्वारा बताये गये अलग-अलग स्थानों से पास पोर्ट बरामद हुए।

**विवरण पूछताछ-** पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा थाना राजेसुल्तानपुर मे पंजीकृत मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS व मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS का अपराध किया गया था जिससे पूछताछ मे यह जानकारी आयी कि प्रान्त के भिन्न - भिन्न स्थानों पर जाकर सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से लोगों को आकर्षित कर बैंक का खाता खुलवाकर पास बुक , एटीएम पिन व मोबाइल सीम अन्य का प्राप्त कर उनके आईडी प्रयोग कर स्वयं संचालन कर धन अर्जित करते हैं।

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता अभियुक्त-**

1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज
2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़
3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़

### **विवरण बरामदगी-**

- 01-अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक व पासपोर्ट
- 02- अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त पोको मोबाइल नीला रंग व पासपोर्ट
- 03- अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त वन प्लस मोबाइल व पासपोर्ट

### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर
2. मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर

**गिरफ्तारी स्थान-** थाना राजेसुल्तानपुर परिसर

**गिरफ्तारी समय-** 12.50 बजे

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-**

1. थानाध्यक्ष अक्षय कुमार पटेल थाना राजेसुल्तानपुर
2. उ0नि0 दिनेश कुमार थाना राजेसुल्तानपुर
3. उ0नि0 शिवम सिंह थाना राजेसुल्तानपुर
4. हे0का0 संतोष यादव थाना राजेसुल्तानपुर
5. निरीक्षक अजय प्रताप यादव (प्रभारी निरीक्षक थाना जहॉंगीरगंज)
6. उ0नि0 प्रभाकान्त तिवारी (प्रभारी सर्विलांस सेल मय सर्विलांस व स्वाट टीम)
7. हे0का0 उमेश कुमार यादव
8. हे0का0 अमरेश यादव
9. हे0का0 विकास ओझा
10. हे0का0 पुनीत गुप्ता
11. हे0का0 सुनील कुमार
12. का0 शिवम शर्मा
13. का0 विपिन सिंह राठौर
14. का0 सौरभ पाण्डेय
15. का0 दिव्यांश यादव



**प्रेस नोट**

**जनपद अम्बेडकरनगर**

**थाना राजेसुल्तानपुर**

**दिनांक-13.09.2025**

**जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस अधीक्षक श्री केशव कुमार के निर्देशन पर थाना राजेसुल्तानपुर/ थाना जहांगीरगंज/ सर्विलांस/स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा विदेश भेजने के नाम पर लोगों से छल व धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.09.2025 को वादीगण विजय कुमार निषाद पुत्र धनुषधारी निषाद नि0ग्राम सकरा दक्षिण थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर व रामवृक्ष पुत्र स्व0 रामलौट ग्राम नया गाँव थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर व नरसिंह पुत्र नेबूलाल निवासी ग्राम हरैया थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर व बाबूराम पुत्र श्रीराम ग्राम हुसैनपुर मुस्लमान थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर व नाजिम अली पुत्र मु0 इस्माईल ग्राम मदनगढ थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर के तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण द्वारा छल व धोखाधड़ी करते हुए प्रार्थीगण को विदेश भेजने के नाम पर ऑनलाइन व नगद रुपये ले लेने व कूटरचना कर कूटरचित फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट का टिकट आदि दे देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसपर मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS व मु0अ0सं0-185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS पंजीकृत किया गया था जो अभियुक्तगण 1.अजय साहनी पुत्र अज्ञात निवासी गोरखपुर 2.सीमा तिवारी खरे पुत्री युवराज वाला साहब खरे निवासी एम-024 सिद्धेश्वर मित्र मण्डल रामनगर घाट कोपर वेस्ट मुम्बई महाराष्ट्र 400086 3.जितेन्द्र यादव पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 4.साहिल हरेश्वर महता पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 5.धनंजय कुमार पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 6.शशिकान्त सेठ पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 7. बन्टी पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 8. शिवांगी पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 9. प्रीति पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 10. कुछ अन्य सहयोगी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध हुआ था।

**कार्यवाही का विवरण** – उपरोक्त फ़ाड के सम्बन्ध में घटनास्थल पर जाकर जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि पदमपुर चौराहे पर स्थित हरि प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री भागवत प्रसाद नि0ग्राम प्रतापपुर रुपईपट्टी थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर के मकान पर जिसको उन्होंने विनोद जायसवाल पुत्र कुन्ज विहारी नि0ग्राम नसीरपुर थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर को 12500 रुपये महिने के किराये पर दिया गया था। विनोद जायसवाल ने उसी किराये के कमरों में से एक कमरा अजय साहनी निवासी गोरखपुर को 6500 रुपये मासिक किराये पर दिया था जिसमें अजय साहनी व उसके सहयोगीयों द्वारा अरेबियन इंटरप्राइजेज के नाम से ब्रांच खोली गयी थी जो लोगों को विदेश भेजने हेतु फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट टिकट उपलब्ध कराती थी उक्त प्रकरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अभियुक्तों के बैंक खाता विवरण (जिसमें अभियुक्तों में पेमेंट मंगवाया था) का सत्यापन, संदिग्ध सिम कार्ड के नाम व पता की जानकारी की गयी तो सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था व इस सम्बन्ध में सत्यंजय गौड़ से पूछने पर उसने बताया कि शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह व विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह नि0गण 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ के कहने पर मैंने धनंजय कुमार पुत्र कृष्णाप्रसाद नि0ग्राम रिठैया धरवार थाना करछना जनपद प्रयागराज के नाम से खाता खुलवाकर पासबुक व एटीएम शुभम प्रसाद शाह एवं विष्णु प्रसाद शाह को दिया गया था जिस पर शुभम प्रसाद साह व विष्णु प्रसाद साह धारा 179 BNSS की नोटिस के अन्तर्गत अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन प्राप्त होने के उपरान्त जिनसे मुकदमा उपरोक्त में संलिप्तता पाये जाने पर धारा 61(2) BNS की बढोतरी कर अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण-1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज 2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B

कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ 3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ का नाम प्रकाश मे लाकर इनकी गिरफ्तारी समय करीब 12.50 बजे की गयी व अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के पास से एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक का व अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से वन प्लस मोबाइल व अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से पोको मोबाइल नीला रंग व इनके द्वारा बताये गये अलग-अलग स्थानों से पास पोर्ट बरामद हुए।

**विवरण पूछताछ-** पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा थाना राजेसुल्तानपुर मे पंजीकृत मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS व मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS का अपराध किया गया था जिससे पूछताछ मे यह जानकारी आयी कि प्रान्त के भिन्न - भिन्न स्थानों पर जाकर सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से लोगों को आकर्षित कर बैंक का खाता खुलवाकर पास बुक , एटीएम पिन व मोबाइल सीम अन्य का प्राप्त कर उनके आईडी प्रयोग कर स्वयं संचालन कर धन अर्जित करते हैं।

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता अभियुक्त-**

1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज
2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़
3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़

### **विवरण बरामदगी-**

- 01-अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक व पासपोर्ट
- 02- अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त पोको मोबाइल नीला रंग व पासपोर्ट
- 03- अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त वन प्लस मोबाइल व पासपोर्ट

### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर
2. मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर

**गिरफ्तारी स्थान-** थाना राजेसुल्तानपुर परिसर

**गिरफ्तारी समय-** 12.50 बजे

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-**

1. थानाध्यक्ष अक्षय कुमार पटेल थाना राजेसुल्तानपुर
2. उ0नि0 दिनेश कुमार थाना राजेसुल्तानपुर
3. उ0नि0 शिवम सिंह थाना राजेसुल्तानपुर
4. हे0का0 संतोष यादव थाना राजेसुल्तानपुर
5. निरीक्षक अजय प्रताप यादव (प्रभारी निरीक्षक थाना जहॉंगीरगंज)
6. उ0नि0 प्रभाकान्त तिवारी (प्रभारी सर्विलांस सेल मय सर्विलांस व स्वाट टीम)
7. हे0का0 उमेश कुमार यादव
8. हे0का0 अमरेश यादव
9. हे0का0 विकास ओझा
10. हे0का0 पुनीत गुप्ता
11. हे0का0 सुनील कुमार
12. का0 शिवम शर्मा
13. का0 विपिन सिंह राठौर
14. का0 सौरभ पाण्डेय
15. का0 दिव्यांश यादव



**प्रेस नोट**

**जनपद अम्बेडकरनगर**

**थाना राजेसुल्तानपुर**

**दिनांक-13.09.2025**

**जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस अधीक्षक श्री केशव कुमार के निर्देशन पर थाना राजेसुल्तानपुर/ थाना जहांगीरगंज/ सर्विलांस/स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा विदेश भेजने के नाम पर लोगों से छल व धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.09.2025 को वादीगण विजय कुमार निषाद पुत्र धनुषधारी निषाद नि0ग्राम सकरा दक्षिण थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर व रामवृक्ष पुत्र स्व0 रामलौट ग्राम नया गाँव थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर व नरसिंह पुत्र नेबूलाल निवासी ग्राम हरैया थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर व बाबूराम पुत्र श्रीराम ग्राम हुसैनपुर मुस्लमान थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर व नाजिम अली पुत्र मु0 इस्माईल ग्राम मदनगढ थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर के तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण द्वारा छल व धोखाधड़ी करते हुए प्रार्थीगण को विदेश भेजने के नाम पर ऑनलाइन व नगद रुपये ले लेने व कूटरचना कर कूटरचित फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट का टिकट आदि दे देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसपर मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS व मु0अ0सं0-185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS पंजीकृत किया गया था जो अभियुक्तगण 1.अजय साहनी पुत्र अज्ञात निवासी गोरखपुर 2.सीमा तिवारी खरे पुत्री युवराज वाला साहब खरे निवासी एम-024 सिद्धेश्वर मित्र मण्डल रामनगर घाट कोपर वेस्ट मुम्बई महाराष्ट्र 400086 3.जितेन्द्र यादव पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 4.साहिल हरेश्वर महता पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 5.धनंजय कुमार पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 6.शशिकान्त सेठ पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 7. बन्टी पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 8. शिवांगी पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 9. प्रीति पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 10. कुछ अन्य सहयोगी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध हुआ था।

**कार्यवाही का विवरण** – उपरोक्त फ़ाड के सम्बन्ध में घटनास्थल पर जाकर जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि पदमपुर चौराहे पर स्थित हरि प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री भागवत प्रसाद नि0ग्राम प्रतापपुर रुपईपट्टी थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर के मकान पर जिसको उन्होंने विनोद जायसवाल पुत्र कुन्ज विहारी नि0ग्राम नसीरपुर थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर को 12500 रुपये महिने के किराये पर दिया गया था। विनोद जायसवाल ने उसी किराये के कमरों में से एक कमरा अजय साहनी निवासी गोरखपुर को 6500 रुपये मासिक किराये पर दिया था जिसमें अजय साहनी व उसके सहयोगीयों द्वारा अरेबियन इंटरप्राइजेज के नाम से ब्रांच खोली गयी थी जो लोगों को विदेश भेजने हेतु फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट टिकट उपलब्ध कराती थी उक्त प्रकरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अभियुक्तों के बैंक खाता विवरण (जिसमें अभियुक्तों में पेमेंट मंगवाया था) का सत्यापन, संदिग्ध सिम कार्ड के नाम व पता की जानकारी की गयी तो सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था व इस सम्बन्ध में सत्यंजय गौड़ से पूछने पर उसने बताया कि शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह व विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह नि0गण 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ के कहने पर मैंने धनंजय कुमार पुत्र कृष्णाप्रसाद नि0ग्राम रिठैया धरवार थाना करछना जनपद प्रयागराज के नाम से खाता खुलवाकर पासबुक व एटीएम शुभम प्रसाद शाह एवं विष्णु प्रसाद शाह को दिया गया था जिस पर शुभम प्रसाद साह व विष्णु प्रसाद साह धारा 179 BNSS की नोटिस के अन्तर्गत अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन प्राप्त होने के उपरान्त जिनसे मुकदमा उपरोक्त में संलिप्तता पाये जाने पर धारा 61(2) BNS की बढोतरी कर अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण-1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज 2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B

कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ 3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ का नाम प्रकाश मे लाकर इनकी गिरफ्तारी समय करीब 12.50 बजे की गयी व अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के पास से एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक का व अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से वन प्लस मोबाइल व अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से पोको मोबाइल नीला रंग व इनके द्वारा बताये गये अलग-अलग स्थानों से पास पोर्ट बरामद हुए।

**विवरण पूछताछ-** पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा थाना राजेसुल्तानपुर मे पंजीकृत मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS व मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS का अपराध किया गया था जिससे पूछताछ मे यह जानकारी आयी कि प्रान्त के भिन्न - भिन्न स्थानों पर जाकर सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से लोगों को आकर्षित कर बैंक का खाता खुलवाकर पास बुक , एटीएम पिन व मोबाइल सीम अन्य का प्राप्त कर उनके आईडी प्रयोग कर स्वयं संचालन कर धन अर्जित करते हैं।

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता अभियुक्त-**

1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज
2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़
3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़

### **विवरण बरामदगी-**

- 01-अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक व पासपोर्ट
- 02- अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त पोको मोबाइल नीला रंग व पासपोर्ट
- 03- अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त वन प्लस मोबाइल व पासपोर्ट

### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर
2. मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर

**गिरफ्तारी स्थान-** थाना राजेसुल्तानपुर परिसर

**गिरफ्तारी समय-** 12.50 बजे

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-**

1. थानाध्यक्ष अक्षय कुमार पटेल थाना राजेसुल्तानपुर
2. उ0नि0 दिनेश कुमार थाना राजेसुल्तानपुर
3. उ0नि0 शिवम सिंह थाना राजेसुल्तानपुर
4. हे0का0 संतोष यादव थाना राजेसुल्तानपुर
5. निरीक्षक अजय प्रताप यादव (प्रभारी निरीक्षक थाना जहॉंगीरगंज)
6. उ0नि0 प्रभाकान्त तिवारी (प्रभारी सर्विलांस सेल मय सर्विलांस व स्वाट टीम)
7. हे0का0 उमेश कुमार यादव
8. हे0का0 अमरेश यादव
9. हे0का0 विकास ओझा
10. हे0का0 पुनीत गुप्ता
11. हे0का0 सुनील कुमार
12. का0 शिवम शर्मा
13. का0 विपिन सिंह राठौर
14. का0 सौरभ पाण्डेय
15. का0 दिव्यांश यादव



प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

थाना राजेसुल्तानपुर

दिनांक-13.09.2025

**जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस अधीक्षक श्री केशव कुमार के निर्देशन पर थाना राजेसुल्तानपुर/ थाना जहांगीरगंज/ सर्विलांस/स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा विदेश भेजने के नाम पर लोगों से छल व धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.09.2025 को वादीगण विजय कुमार निषाद पुत्र धनुषधारी निषाद नि0ग्राम सकरा दक्षिण थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर व रामवृक्ष पुत्र स्व0 रामलौट ग्राम नया गाँव थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर व नरसिंह पुत्र नेबूलाल निवासी ग्राम हरैया थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर व बाबूराम पुत्र श्रीराम ग्राम हुसैनपुर मुस्लमान थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर व नाजिम अली पुत्र मु0 इस्माईल ग्राम मदनगढ थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर के तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण द्वारा छल व धोखाधड़ी करते हुए प्रार्थीगण को विदेश भेजने के नाम पर ऑनलाइन व नगद रुपये ले लेने व कूटरचना कर कूटरचित फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट का टिकट आदि दे देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसपर मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS व मु0अ0सं0-185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS पंजीकृत किया गया था जो अभियुक्तगण 1.अजय साहनी पुत्र अज्ञात निवासी गोरखपुर 2.सीमा तिवारी खरे पुत्री युवराज वाला साहब खरे निवासी एम-024 सिद्धेश्वर मित्र मण्डल रामनगर घाट कोपर वेस्ट मुम्बई महाराष्ट्र 400086 3.जितेन्द्र यादव पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 4.साहिल हरेश्वर महता पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 5.धनंजय कुमार पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 6.शशिकान्त सेठ पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 7. बन्टी पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 8. शिवांगी पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 9. प्रीति पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 10. कुछ अन्य सहयोगी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध हुआ था।

**कार्यवाही का विवरण** – उपरोक्त फ़ाड के सम्बन्ध में घटनास्थल पर जाकर जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि पदमपुर चौराहे पर स्थित हरि प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री भागवत प्रसाद नि0ग्राम प्रतापपुर रुपईपट्टी थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर के मकान पर जिसको उन्होंने विनोद जायसवाल पुत्र कुन्ज विहारी नि0ग्राम नसीरपुर थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर को 12500 रुपये महिने के किराये पर दिया गया था। विनोद जायसवाल ने उसी किराये के कमरों में से एक कमरा अजय साहनी निवासी गोरखपुर को 6500 रुपये मासिक किराये पर दिया था जिसमें अजय साहनी व उसके सहयोगीयों द्वारा अरेबियन इंटरप्राइजेज के नाम से ब्रांच खोली गयी थी जो लोगों को विदेश भेजने हेतु फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट टिकट उपलब्ध कराती थी उक्त प्रकरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अभियुक्तों के बैंक खाता विवरण (जिसमें अभियुक्तों में पेमेंट मंगवाया था) का सत्यापन, संदिग्ध सिम कार्ड के नाम व पता की जानकारी की गयी तो सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था व इस सम्बन्ध में सत्यंजय गौड़ से पूछने पर उसने बताया कि शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह व विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह नि0गण 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ के कहने पर मैंने धनंजय कुमार पुत्र कृष्णाप्रसाद नि0ग्राम रिठैया धरवार थाना करछना जनपद प्रयागराज के नाम से खाता खुलवाकर पासबुक व एटीएम शुभम प्रसाद शाह एवं विष्णु प्रसाद शाह को दिया गया था जिस पर शुभम प्रसाद साह व विष्णु प्रसाद साह धारा 179 BNSS की नोटिस के अन्तर्गत अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन प्राप्त होने के उपरान्त जिनसे मुकदमा उपरोक्त में संलिप्तता पाये जाने पर धारा 61(2) BNS की बढोतरी कर अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण-1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज 2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B

कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ 3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ का नाम प्रकाश मे लाकर इनकी गिरफ्तारी समय करीब 12.50 बजे की गयी व अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के पास से एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक का व अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से वन प्लस मोबाइल व अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से पोको मोबाइल नीला रंग व इनके द्वारा बताये गये अलग-अलग स्थानों से पास पोर्ट बरामद हुए।

**विवरण पूछताछ-** पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा थाना राजेसुल्तानपुर मे पंजीकृत मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS व मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS का अपराध किया गया था जिससे पूछताछ मे यह जानकारी आयी कि प्रान्त के भिन्न - भिन्न स्थानों पर जाकर सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से लोगों को आकर्षित कर बैंक का खाता खुलवाकर पास बुक , एटीएम पिन व मोबाइल सीम अन्य का प्राप्त कर उनके आईडी प्रयोग कर स्वयं संचालन कर धन अर्जित करते हैं।

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता अभियुक्त-**

1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज
2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़
3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़

### **विवरण बरामदगी-**

- 01-अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक व पासपोर्ट
- 02- अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त पोको मोबाइल नीला रंग व पासपोर्ट
- 03- अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त वन प्लस मोबाइल व पासपोर्ट

### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर
2. मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर

**गिरफ्तारी स्थान-** थाना राजेसुल्तानपुर परिसर

**गिरफ्तारी समय-** 12.50 बजे

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-**

1. थानाध्यक्ष अक्षय कुमार पटेल थाना राजेसुल्तानपुर
2. उ0नि0 दिनेश कुमार थाना राजेसुल्तानपुर
3. उ0नि0 शिवम सिंह थाना राजेसुल्तानपुर
4. हे0का0 संतोष यादव थाना राजेसुल्तानपुर
5. निरीक्षक अजय प्रताप यादव (प्रभारी निरीक्षक थाना जहॉंगीरगंज)
6. उ0नि0 प्रभाकान्त तिवारी (प्रभारी सर्विलांस सेल मय सर्विलांस व स्वाट टीम)
7. हे0का0 उमेश कुमार यादव
8. हे0का0 अमरेश यादव
9. हे0का0 विकास ओझा
10. हे0का0 पुनीत गुप्ता
11. हे0का0 सुनील कुमार
12. का0 शिवम शर्मा
13. का0 विपिन सिंह राठौर
14. का0 सौरभ पाण्डेय
15. का0 दिव्यांश यादव



**प्रेस नोट**

**जनपद अम्बेडकरनगर**

**थाना राजेसुल्तानपुर**

**दिनांक-13.09.2025**

**जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस अधीक्षक श्री केशव कुमार के निर्देशन पर थाना राजेसुल्तानपुर/ थाना जहांगीरगंज/ सर्विलांस/स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा विदेश भेजने के नाम पर लोगों से छल व धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.09.2025 को वादीगण विजय कुमार निषाद पुत्र धनुषधारी निषाद नि0ग्राम सकरा दक्षिण थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर व रामवृक्ष पुत्र स्व0 रामलौट ग्राम नया गाँव थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर व नरसिंह पुत्र नेबूलाल निवासी ग्राम हरैया थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर व बाबूराम पुत्र श्रीराम ग्राम हुसैनपुर मुस्लमान थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर व नाजिम अली पुत्र मु0 इस्माईल ग्राम मदनगढ थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर के तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण द्वारा छल व धोखाधड़ी करते हुए प्रार्थीगण को विदेश भेजने के नाम पर ऑनलाइन व नगद रुपये ले लेने व कूटरचना कर कूटरचित फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट का टिकट आदि दे देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसपर मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS व मु0अ0सं0-185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS पंजीकृत किया गया था जो अभियुक्तगण 1.अजय साहनी पुत्र अज्ञात निवासी गोरखपुर 2.सीमा तिवारी खरे पुत्री युवराज वाला साहब खरे निवासी एम-024 सिद्धेश्वर मित्र मण्डल रामनगर घाट कोपर वेस्ट मुम्बई महाराष्ट्र 400086 3.जितेन्द्र यादव पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 4.साहिल हरेश्वर महता पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 5.धनंजय कुमार पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 6.शशिकान्त सेठ पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 7. बन्टी पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 8. शिवांगी पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 9. प्रीति पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 10. कुछ अन्य सहयोगी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध हुआ था।

**कार्यवाही का विवरण** – उपरोक्त फ़ाड के सम्बन्ध में घटनास्थल पर जाकर जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि पदमपुर चौराहे पर स्थित हरि प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री भागवत प्रसाद नि0ग्राम प्रतापपुर रुपईपट्टी थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर के मकान पर जिसको उन्होंने विनोद जायसवाल पुत्र कुन्ज विहारी नि0ग्राम नसीरपुर थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर को 12500 रुपये महिने के किराये पर दिया गया था। विनोद जायसवाल ने उसी किराये के कमरों में से एक कमरा अजय साहनी निवासी गोरखपुर को 6500 रुपये मासिक किराये पर दिया था जिसमें अजय साहनी व उसके सहयोगीयों द्वारा अरेबियन इंटरप्राइजेज के नाम से ब्रांच खोली गयी थी जो लोगों को विदेश भेजने हेतु फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट टिकट उपलब्ध कराती थी उक्त प्रकरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अभियुक्तों के बैंक खाता विवरण (जिसमें अभियुक्तों में पेमेंट मंगवाया था) का सत्यापन, संदिग्ध सिम कार्ड के नाम व पता की जानकारी की गयी तो सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था व इस सम्बन्ध में सत्यंजय गौड़ से पूछने पर उसने बताया कि शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह व विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह नि0गण 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ के कहने पर मैंने धनंजय कुमार पुत्र कृष्णाप्रसाद नि0ग्राम रिठैया धरवार थाना करछना जनपद प्रयागराज के नाम से खाता खुलवाकर पासबुक व एटीएम शुभम प्रसाद शाह एवं विष्णु प्रसाद शाह को दिया गया था जिस पर शुभम प्रसाद साह व विष्णु प्रसाद साह धारा 179 BNSS की नोटिस के अन्तर्गत अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन प्राप्त होने के उपरान्त जिनसे मुकदमा उपरोक्त में संलिप्तता पाये जाने पर धारा 61(2) BNS की बढोत्तरी कर अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण-1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज 2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B

कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ 3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ का नाम प्रकाश मे लाकर इनकी गिरफ्तारी समय करीब 12.50 बजे की गयी व अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के पास से एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक का व अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से वन प्लस मोबाइल व अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से पोको मोबाइल नीला रंग व इनके द्वारा बताये गये अलग-अलग स्थानों से पास पोर्ट बरामद हुए।

**विवरण पूछताछ-** पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा थाना राजेसुल्तानपुर मे पंजीकृत मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS व मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS का अपराध किया गया था जिससे पूछताछ मे यह जानकारी आयी कि प्रान्त के भिन्न - भिन्न स्थानों पर जाकर सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से लोगों को आकर्षित कर बैंक का खाता खुलवाकर पास बुक , एटीएम पिन व मोबाइल सीम अन्य का प्राप्त कर उनके आईडी प्रयोग कर स्वयं संचालन कर धन अर्जित करते हैं।

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता अभियुक्त-**

1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज
2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़
3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़

### **विवरण बरामदगी-**

- 01-अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक व पासपोर्ट
- 02- अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त पोको मोबाइल नीला रंग व पासपोर्ट
- 03- अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त वन प्लस मोबाइल व पासपोर्ट

### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर
2. मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर

**गिरफ्तारी स्थान-** थाना राजेसुल्तानपुर परिसर

**गिरफ्तारी समय-** 12.50 बजे

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-**

1. थानाध्यक्ष अक्षय कुमार पटेल थाना राजेसुल्तानपुर
2. उ0नि0 दिनेश कुमार थाना राजेसुल्तानपुर
3. उ0नि0 शिवम सिंह थाना राजेसुल्तानपुर
4. हे0का0 संतोष यादव थाना राजेसुल्तानपुर
5. निरीक्षक अजय प्रताप यादव (प्रभारी निरीक्षक थाना जहॉंगीरगंज)
6. उ0नि0 प्रभाकान्त तिवारी (प्रभारी सर्विलांस सेल मय सर्विलांस व स्वाट टीम)
7. हे0का0 उमेश कुमार यादव
8. हे0का0 अमरेश यादव
9. हे0का0 विकास ओझा
10. हे0का0 पुनीत गुप्ता
11. हे0का0 सुनील कुमार
12. का0 शिवम शर्मा
13. का0 विपिन सिंह राठौर
14. का0 सौरभ पाण्डेय
15. का0 दिव्यांश यादव



**प्रेस नोट**

**जनपद अम्बेडकरनगर**

**थाना राजेसुल्तानपुर**

**दिनांक-13.09.2025**

**जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस अधीक्षक श्री केशव कुमार के निर्देशन पर थाना राजेसुल्तानपुर/ थाना जहांगीरगंज/ सर्विलांस/स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा विदेश भेजने के नाम पर लोगों से छल व धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.09.2025 को वादीगण विजय कुमार निषाद पुत्र धनुषधारी निषाद नि0ग्राम सकरा दक्षिण थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर व रामवृक्ष पुत्र स्व0 रामलौट ग्राम नया गाँव थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर व नरसिंह पुत्र नेबूलाल निवासी ग्राम हरैया थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर व बाबूराम पुत्र श्रीराम ग्राम हुसैनपुर मुस्लमान थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर व नाजिम अली पुत्र मु0 इस्माईल ग्राम मदनगढ थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर के तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण द्वारा छल व धोखाधड़ी करते हुए प्रार्थीगण को विदेश भेजने के नाम पर ऑनलाइन व नगद रुपये ले लेने व कूटरचना कर कूटरचित फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट का टिकट आदि दे देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसपर मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS व मु0अ0सं0-185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS पंजीकृत किया गया था जो अभियुक्तगण 1.अजय साहनी पुत्र अज्ञात निवासी गोरखपुर 2.सीमा तिवारी खरे पुत्री युवराज वाला साहब खरे निवासी एम-024 सिद्धेश्वर मित्र मण्डल रामनगर घाट कोपर वेस्ट मुम्बई महाराष्ट्र 400086 3.जितेन्द्र यादव पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 4.साहिल हरेश्वर महता पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 5.धनंजय कुमार पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 6.शशिकान्त सेठ पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 7. बन्टी पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 8. शिवांगी पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 9. प्रीति पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 10. कुछ अन्य सहयोगी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध हुआ था।

**कार्यवाही का विवरण** – उपरोक्त फ़ाड के सम्बन्ध में घटनास्थल पर जाकर जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि पदमपुर चौराहे पर स्थित हरि प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री भागवत प्रसाद नि0ग्राम प्रतापपुर रुपईपट्टी थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर के मकान पर जिसको उन्होंने विनोद जायसवाल पुत्र कुन्ज विहारी नि0ग्राम नसीरपुर थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर को 12500 रुपये महिने के किराये पर दिया गया था। विनोद जायसवाल ने उसी किराये के कमरों में से एक कमरा अजय साहनी निवासी गोरखपुर को 6500 रुपये मासिक किराये पर दिया था जिसमें अजय साहनी व उसके सहयोगीयों द्वारा अरेबियन इंटरप्राइजेज के नाम से ब्रांच खोली गयी थी जो लोगों को विदेश भेजने हेतु फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट टिकट उपलब्ध कराती थी उक्त प्रकरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अभियुक्तों के बैंक खाता विवरण (जिसमें अभियुक्तों में पेमेंट मंगवाया था) का सत्यापन, संदिग्ध सिम कार्ड के नाम व पता की जानकारी की गयी तो सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था व इस सम्बन्ध में सत्यंजय गौड़ से पूछने पर उसने बताया कि शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह व विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह नि0गण 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ के कहने पर मैंने धनंजय कुमार पुत्र कृष्णाप्रसाद नि0ग्राम रिठैया धरवार थाना करछना जनपद प्रयागराज के नाम से खाता खुलवाकर पासबुक व एटीएम शुभम प्रसाद शाह एवं विष्णु प्रसाद शाह को दिया गया था जिस पर शुभम प्रसाद साह व विष्णु प्रसाद साह धारा 179 BNSS की नोटिस के अन्तर्गत अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन प्राप्त होने के उपरान्त जिनसे मुकदमा उपरोक्त में संलिप्तता पाये जाने पर धारा 61(2) BNS की बढोत्तरी कर अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण-1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज 2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B

कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ 3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ का नाम प्रकाश मे लाकर इनकी गिरफ्तारी समय करीब 12.50 बजे की गयी व अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के पास से एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक का व अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से वन प्लस मोबाइल व अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से पोको मोबाइल नीला रंग व इनके द्वारा बताये गये अलग-अलग स्थानों से पास पोर्ट बरामद हुए।

**विवरण पूछताछ-** पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा थाना राजेसुल्तानपुर मे पंजीकृत मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS व मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS का अपराध किया गया था जिससे पूछताछ मे यह जानकारी आयी कि प्रान्त के भिन्न - भिन्न स्थानों पर जाकर सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से लोगों को आकर्षित कर बैंक का खाता खुलवाकर पास बुक , एटीएम पिन व मोबाइल सीम अन्य का प्राप्त कर उनके आईडी प्रयोग कर स्वयं संचालन कर धन अर्जित करते हैं।

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता अभियुक्त-**

1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज
2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़
3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़

### **विवरण बरामदगी-**

- 01-अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक व पासपोर्ट
- 02- अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त पोको मोबाइल नीला रंग व पासपोर्ट
- 03- अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त वन प्लस मोबाइल व पासपोर्ट

### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर
2. मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर

**गिरफ्तारी स्थान-** थाना राजेसुल्तानपुर परिसर

**गिरफ्तारी समय-** 12.50 बजे

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-**

1. थानाध्यक्ष अक्षय कुमार पटेल थाना राजेसुल्तानपुर
2. उ0नि0 दिनेश कुमार थाना राजेसुल्तानपुर
3. उ0नि0 शिवम सिंह थाना राजेसुल्तानपुर
4. हे0का0 संतोष यादव थाना राजेसुल्तानपुर
5. निरीक्षक अजय प्रताप यादव (प्रभारी निरीक्षक थाना जहॉंगीरगंज)
6. उ0नि0 प्रभाकान्त तिवारी (प्रभारी सर्विलांस सेल मय सर्विलांस व स्वाट टीम)
7. हे0का0 उमेश कुमार यादव
8. हे0का0 अमरेश यादव
9. हे0का0 विकास ओझा
10. हे0का0 पुनीत गुप्ता
11. हे0का0 सुनील कुमार
12. का0 शिवम शर्मा
13. का0 विपिन सिंह राठौर
14. का0 सौरभ पाण्डेय
15. का0 दिव्यांश यादव



प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

थाना राजेसुल्तानपुर

दिनांक-13.09.2025

**जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस अधीक्षक श्री केशव कुमार के निर्देशन पर थाना राजेसुल्तानपुर/ थाना जहांगीरगंज/ सर्विलांस/स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा विदेश भेजने के नाम पर लोगों से छल व धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.09.2025 को वादीगण विजय कुमार निषाद पुत्र धनुषधारी निषाद नि0ग्राम सकरा दक्षिण थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर व रामवृक्ष पुत्र स्व0 रामलौट ग्राम नया गाँव थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर व नरसिंह पुत्र नेबूलाल निवासी ग्राम हरैया थाना बसखारी जनपद अम्बेडकर नगर व बाबूराम पुत्र श्रीराम ग्राम हुसैनपुर मुस्लमान थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर व नाजिम अली पुत्र मु0 इस्माईल ग्राम मदनगढ थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर के तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण द्वारा छल व धोखाधड़ी करते हुए प्रार्थीगण को विदेश भेजने के नाम पर ऑनलाइन व नगद रुपये ले लेने व कूटरचना कर कूटरचित फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट का टिकट आदि दे देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसपर मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS व मु0अ0सं0-185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)BNS पंजीकृत किया गया था जो अभियुक्तगण 1.अजय साहनी पुत्र अज्ञात निवासी गोरखपुर 2.सीमा तिवारी खरे पुत्री युवराज वाला साहब खरे निवासी एम-024 सिद्धेश्वर मित्र मण्डल रामनगर घाट कोपर वेस्ट मुम्बई महाराष्ट्र 400086 3.जितेन्द्र यादव पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 4.साहिल हरेश्वर महता पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 5.धनंजय कुमार पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 6.शशिकान्त सेठ पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 7. बन्टी पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात 8. शिवांगी पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 9. प्रीति पुत्री अज्ञात निवासी अज्ञात 10. कुछ अन्य सहयोगी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध हुआ था।

**कार्यवाही का विवरण** – उपरोक्त फ़ाड के सम्बन्ध में घटनास्थल पर जाकर जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि पदमपुर चौराहे पर स्थित हरि प्रसाद द्विवेदी पुत्र श्री भागवत प्रसाद नि0ग्राम प्रतापपुर रुपईपट्टी थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर के मकान पर जिसको उन्होंने विनोद जायसवाल पुत्र कुन्ज विहारी नि0ग्राम नसीरपुर थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर को 12500 रुपये महिने के किराये पर दिया गया था। विनोद जायसवाल ने उसी किराये के कमरों में से एक कमरा अजय साहनी निवासी गोरखपुर को 6500 रुपये मासिक किराये पर दिया था जिसमें अजय साहनी व उसके सहयोगीयों द्वारा अरेबियन इंटरप्राइजेज के नाम से ब्रांच खोली गयी थी जो लोगों को विदेश भेजने हेतु फर्जी वीजा व फर्जी पलाइट टिकट उपलब्ध कराती थी उक्त प्रकरण में अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अभियुक्तों के बैंक खाता विवरण (जिसमें अभियुक्तों में पेमेंट मंगवाया था) का सत्यापन, संदिग्ध सिम कार्ड के नाम व पता की जानकारी की गयी तो सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था व इस सम्बन्ध में सत्यंजय गौड़ से पूछने पर उसने बताया कि शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह व विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह नि0गण 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ के कहने पर मैंने धनंजय कुमार पुत्र कृष्णाप्रसाद नि0ग्राम रिठैया धरवार थाना करछना जनपद प्रयागराज के नाम से खाता खुलवाकर पासबुक व एटीएम शुभम प्रसाद शाह एवं विष्णु प्रसाद शाह को दिया गया था जिस पर शुभम प्रसाद साह व विष्णु प्रसाद साह धारा 179 BNSS की नोटिस के अन्तर्गत अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन प्राप्त होने के उपरान्त जिनसे मुकदमा उपरोक्त में संलिप्तता पाये जाने पर धारा 61(2) BNS की बढोत्तरी कर अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण-1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज 2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B

कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ 3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़ का नाम प्रकाश मे लाकर इनकी गिरफ्तारी समय करीब 12.50 बजे की गयी व अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के पास से एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक का व अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से वन प्लस मोबाइल व अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से पोको मोबाइल नीला रंग व इनके द्वारा बताये गये अलग-अलग स्थानों से पास पोर्ट बरामद हुए।

**विवरण पूछताछ-** पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा थाना राजेसुल्तानपुर मे पंजीकृत मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS व मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS का अपराध किया गया था जिससे पूछताछ मे यह जानकारी आयी कि प्रान्त के भिन्न - भिन्न स्थानों पर जाकर सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से लोगों को आकर्षित कर बैंक का खाता खुलवाकर पास बुक , एटीएम पिन व मोबाइल सीम अन्य का प्राप्त कर उनके आईडी प्रयोग कर स्वयं संचालन कर धन अर्जित करते हैं।

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता अभियुक्त-**

1. सत्यंजय गौड़ पुत्र राजकुमार नि0ग्राम निरिया थाना करछना जनपद प्रयागराज
2. शुभम प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़
3. विष्णु प्रसाद शाह पुत्र शिवशंकर प्रसाद शाह निवासी 154/B कैंप 1 सुपेला भीलाई साई नगर दुर्ग थाना बैसाली नगर छत्तीसगढ़

### **विवरण बरामदगी-**

- 01-अभियुक्त सत्यंजय गौड़ के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक अदद विवो मोबाईल लाल रंग व एक अदद पास बुक पीएनबी बैंक व पासपोर्ट
- 02- अभियुक्त शुभम प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त पोको मोबाइल नीला रंग व पासपोर्ट
- 03- अभियुक्त विष्णु प्रसाद शाह के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त वन प्लस मोबाइल व पासपोर्ट

### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 184/25 धारा 316(2)/319(2)/318(4) /338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर
2. मु0अ0सं0 185/2025 धारा 316(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)BNS थाना राजेसुल्तानपुर

**गिरफ्तारी स्थान-** थाना राजेसुल्तानपुर परिसर

**गिरफ्तारी समय-** 12.50 बजे

### **विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-**

1. थानाध्यक्ष अक्षय कुमार पटेल थाना राजेसुल्तानपुर
2. उ0नि0 दिनेश कुमार थाना राजेसुल्तानपुर
3. उ0नि0 शिवम सिंह थाना राजेसुल्तानपुर
4. हे0का0 संतोष यादव थाना राजेसुल्तानपुर
5. निरीक्षक अजय प्रताप यादव (प्रभारी निरीक्षक थाना जहॉंगीरगंज)
6. उ0नि0 प्रभाकान्त तिवारी (प्रभारी सर्विलांस सेल मय सर्विलांस व स्वाट टीम)
7. हे0का0 उमेश कुमार यादव
8. हे0का0 अमरेश यादव
9. हे0का0 विकास ओझा
10. हे0का0 पुनीत गुप्ता
11. हे0का0 सुनील कुमार
12. का0 शिवम शर्मा
13. का0 विपिन सिंह राठौर
14. का0 सौरभ पाण्डेय
15. का0 दिव्यांश यादव